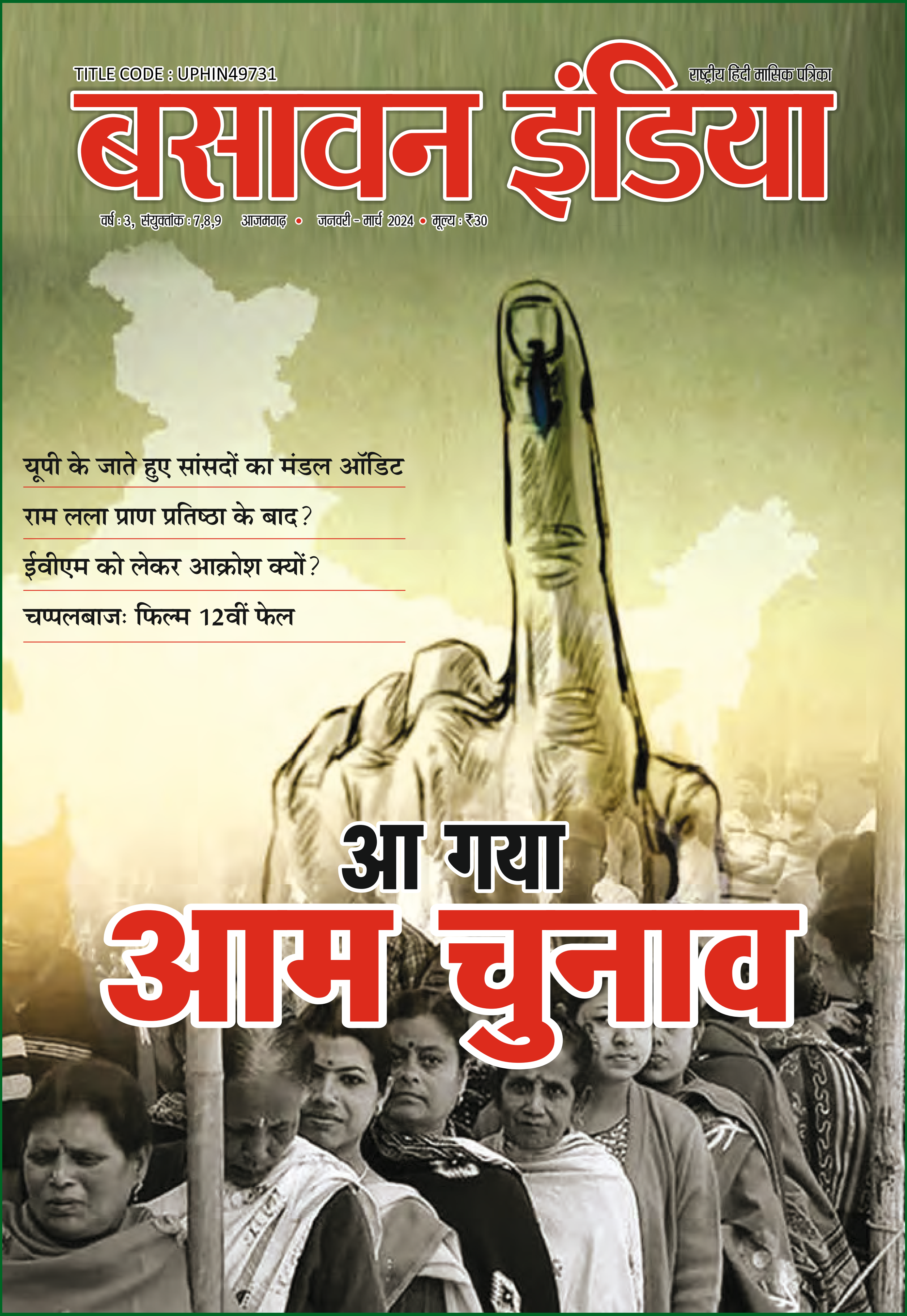
TITLE CODE : UPHIN49731
राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका
बसावन इंडिया
वर्ष : 3, संयुक्तांक : 7,8,9 आजमगढ़ • जनवरी - मार्च 2024 • मूल्य : ₹30
यूपी के जाते हुए सांसदों का मंडल ऑडिट
राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद?
ईवीएम को लेकर आक्रोश क्यों?
चप्पलबाजः फिल्म 12वीं फेल
आ गया
आम चुनाव

संपादकीय

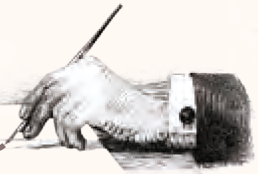

इंडिया में आम चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी दो-तीन महीने इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण या कहिए निर्णायक रहने वाले है। केवल सरकार या सांसद चुने जाने को लेकर किसी पार्टी की हार या जीत को लेकर ही नहीं बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भी निर्णायक साबित होने वाले हैं। लगभग 1 अरब लोग इसमें तय करेंगे कि उनके भाग्य विधाता में वे कहां होंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक कच्छ से कटक और कांमजोंग तक बहुत सारे विचारों-संघर्षों का मंथन चल रहा है, जिसमें सबको एक साथ लेकर चल पाने में इंडिया की क्षमता की भी परीक्षा है। इंडिया के संविधान में सबको एक साथ और सामंजस्य बनाकर ले चलने की कोशिश के तहत जनजातियों के समूहों को तमाम सुरक्षा और अधिकार मिले तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। सत्ता, शासन में हजारों साल तक मुख्य धारा से बाहर और छुआछूत का दंश झेल रहे अमानवीयता के शिकार रहे लोगों को जोड़ने का प्रयास संविधान लागू होने के साथ चालू हुआ। जमीन-धन और संसाधनों पर कुछ जातियों- समूहों के नियंत्रण भी ढीले होने शुरू हुए, तो वंचित समूह के लोगों को अवसर भी संविधान लागू होने के बाद मिले जिससे न केवल करोड़ों लोग मिडिल क्लास में शामिल हुए बल्कि साहित्य, सिनेमा, मीडिया, सरकारी सेवा और अन्य सेवा क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालक समाज के लोगों को भी अवसर प्राप्त हुआ। 21वीं सदी की शुरुआत में लोगों की आशाएं-उम्मीदें कुलाचें मारने लगी और विज्ञान-तकनीक ने उसमें और भी चार चाँद लगाया।

इन सब के बीच धीरे-धीरे प्रतिक्रांति का प्रवेश भी शुरू हुआ जिसका दौर,दबाव, पकड़-जकड़ निरंतर मजबूत होती जा रही है। दलितों, पिछड़ों, जनजातियों की भागीदारी तीसरे-चौथे दर्जे यानी कि लेखपाल, दरोगा, सेना सिपाही, क्लर्क-चपरासी में शुरू हुई, लेकिन ऊंचे और निर्णायक पदों पर यदा-कदा ही पहुंचने दिया गया। विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में प्रोफेसर और चिकित्सा कॉलेजों के डीन-कुलपति तो बहुत दूर की बात रही। इस बीच UGC द्वारा यह प्रस्ताव करना कि SC-OBC के पद खाली रहने पर जनरल से भर लिए जाएं, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भद्दा मजाक है। मीडिया में कुछ घरानों और जाति समूहों का वर्चस्व होने से आम आदमी की चीख-चीत्कार भी आना कम हो रही है। सिनेमा मनोरंजन और सामाजिक विषयों को उठाने के बजाय प्रोपेगेंडा तैयार करने और कुछ समूहों के हित साधन का माध्यम बनता जा रहा है। युवाओं में बढ़ती हताशा किसी भी परीक्षा की तारीख पर स्टेशनों और बस अड्डों पर देखी जा सकती है। ऐसे में लगातार धुआंधार पर्चा आउट होने लगे तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठाना शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें लोगों का लोकतंत्र में विश्वास हटाकर अंधविश्वास, अतार्किकता और अवैज्ञानिकता की ओर धकेलने का प्रयास कर रही हैं। आगामी चुनाव में इन बातों की भी परीक्षा होगी कि जनता ने जिनको चुना, क्या वह जनमत लेकर कहीं भी जा/भाग सकता है? कई राज्यों की सरकारें लगता है अब लूटी या अब गयीं। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई अन्य जगहों पर जनमत चाहे जैसा हो सरकार कब-कैसे बदल जाए कोई भरोसा नहीं। क्या यह सब लोगों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोह भंग की ओर धकेलने का प्रयास नहीं है? विधायकों द्वारा किसी पार्टी से चुनाव जीतना और वोट लेना अपने क्षेत्र की जनभावना के बजाय अपनी भावना के अनुसार बिकना-खरीदवाना क्या लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है?

इन सब से बढ़ कर देश में व्यक्ति-पूजा यानी मसीहा बनने/बनाने और महिमा मंडन जिसे डॉ. अंबेडकर ने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया, उसको लोकतंत्र के ही रास्ते लाने की कोशिश हो रही है। संसदीय प्रणाली को अपना कर संविधान निर्माताओं ने इससे बचने के इंडिया जैसे देश में पक्का इंतजाम कर रखा था। भले ही लोकतंत्र की जननी होने का दावा इंडिया में किया जाता रहा हो लेकिन, बचपन से ही राजा-रानी की कहानियों से लेकर राजा बेटा और रानी बिटिया हमारे जेहन में समाया हुआ है। ऐसे में लोकतंत्र विकसित होने के लिए आम चुनाव के बजाय मीडिया और कुछ समूह देश के चुनाव को व्यक्ति बनाम अमुक व्यक्ति या परिवार में चुनने को ही लोकतंत्र बताने/बनाने की कोशिश हो रही है।

ऐसे में हमें संत रैदास याद आते हैं जिनकी जयंती 24 फरवरी को देश भर में सरकारों ने भी मनायी। बड़े-बड़े विज्ञापन देकर उनकी पंक्तियों को मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा गया "ऐसा चाहूं देश मै जहां मिले सभी को अन्न ....रहे सभी प्रसन्न। लेकिन रैदास सभी को प्रणाम के बाद 'प्रसन्न रहो' का आशीर्वाद नहीं दिए बल्कि उन्होंने खुले आम कहा कि "कही रैदास खलास चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार" इसमें उन्हें कोई हीनता बोध नहीं था। आत्मसम्मान की आग थी उनके अंदर तभी तो यह कहने की हिम्मत कर सके- जनता लूटती ब्राह्मन सारे, प्रभु जी देत न धेला रे...। बसावन इंडिया रैदास के साहस को सेल्यूट पेश करते हुए अपने पाठकों और लोकतंत्र के लड़ाकों को उनकी जयंती की शुभकामनाओं सहित यह अंक आपके समक्ष पेश है।

नरेन्द्र

TITLE CODE : UPHIN49731

आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ संयुक्तांक : जनवरी - मार्च
सन्-2024 ▪ वर्ष-3 अंक-7,8,9

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप
मो.: +91 94531 71770

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू
मो.: +91 99211 10844

प्रबंध संपादक
एड. देशराज (लखनऊ)
मो.: +91 9415767238

सह प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
विक्रमजीत, सुधा सिंह,
कमलेश यादव, मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर-परिभाषा
छत्तीसगढ़-डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश-तेजबहादुर
महाराष्ट्र-आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान-डॉ. कालूलाल कुलमी
लखनऊ-विनीत कुमार
प्रयागराज-धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर-कोमल प्रसाद
पूर्वांचल-रमाकांत यादव
मिर्जापुर-एस.एम. सबा
बलिया-विनय कुमार
देवरिया-डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर-डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग-कृष्णा पैकरा

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान-+91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वार, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व शहीद द्वार सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन-276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

मूर्ति निर्माण के बहाने	6
रामराज में शंबूक	7
17वीं लोकसभा में यूपी के जाते हुए सांसद	9
मुस्लिम आरक्षण बनाम भागीदारी : तेलंगाना चुनाव के बहाने	16
17वीं लोकसभा में यूपी के सांसदों की मंडल ऑडिट	18
जातीय जनगणना रिपोर्ट- ग्राम पंचायत सेल्हूमऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, उ. प्र.	19
छत्तीसगढ़ का क्वांटिफायबल डेटा लीक : कौन जाति कितनी?	20
नंद कुमार बघेल : छत्तीसगढ़ के पेरियार	22
छत्तीसगढ़ को मिला आदिवासी मुख्यमंत्री - क्या होंगी चुनौतियाँ?	24
किसान आंदोलन - 2	26
पेंशन बहाली मुद्दा लगातार जीत रहा है	27
कहाँ है जनतंत्र में मीडिया	28

www.basavanindia.com
बसावन इंडिया की ख़बरें हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ी जा सकती हैं।

02 **राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ?**
- 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। राम के सहारे 2024 में भाजपा की नैया पार लग सकती है लेकिन...

11 **ईवीएम को लेकर आक्रोश क्यों?**
- हाल ही में देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर उपजा असंतोष लोगों ने ईवीएम के प्रति संशय पैदा कर रहा है...

13 **हिट एंड रन - बैकफुट पर सरकार-**
'हिट-एंड-रन' (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय...

32 **जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न धेला रे... -** रैदास जयंती पूरे देश में बनाई गई। रैदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

आयोध्या का निर्माणाधीन राम मंदिर

राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ?

22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। राम के सहारे 2024 में भाजपा की नैया पार लग सकती है लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या देश राम राज्य के आधार स्तम्भ तुलसी दास दूबे के राम चरित मानस पर चलेगा अथवा डॉ. भीम राव अंबेडकर के बनाये भारतीय संविधान के रास्ते पर चलेगा? इसको लेकर एक विमर्श जरूरी है।

राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया। देश के टीवी चैनलों ने व्यापक अभियान चला कर देश को भक्ति से सराबोर कर दिया। राम राज्य की इस चकाचौंध में किसी ने ध्यान अयोध्या के लोगों पर नहीं गया जो इससे प्रभावित हुए हैं और होंगे।

अयोध्या में करोडों रुपए का निवेश हुआ और अभी निवेश किया जाना है, देश के बहुत से प्रभावशाली लोगों की कई पुस्तों के लिए धन आ गया। जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री हुई साथ ही साथ जमीनों की खरीद बिक्री में बड़े बड़े घोटाले भी हुए कुछ का पर्दाफाश हो गया और कुछ का होना अभी बाकी है?

राम जन्मभूमि जमीन घोटाला

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद अयोध्या की ज़मीन खरीदने की होड़ मच गई, जिसमें नियम क़ानूनों का उल्लंघन जम कर किया गया।सरकारी कर्मचारियों से लेकर बड़े राजनीतिक नेता ही नहीं, सत्तारूढ़ दल के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता तक इसमें शामिल थे और उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। इतना ही नहीं, इसमें ट्रस्ट तक शामिल थे।एक समाचार एजेंसी के अनुसार, महर्षि योगी की संस्था महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (एमआरवीटी) ने राम मंदिर से सिर्फ़ पाँच किलोमीटर की दूरी पर 21 बीघा यानी लगभग 52 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन नियमों का उल्लंघन कर दलितों से खरीदी। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स के अनुसार कोई भी ग़ैर-दलित जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बगैर किसी दलित से ज़मीन नहीं खरीदी। दलितों से यह ज़मीन 6.38 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि इसकी कीमत लगभग 8.50 करोड़ रुपए थी। अयोध्या के डिवीज़नल कमिश्नर एम. पी. अग्रवाल के ससुर और साले ने क्रमशः 2530 वर्ग मीटर और 1260 वर्ग मीटर ज़मीन एमवीआरटी से खरीदी। समाचार एजेंसी के मुताबिक, मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता और पुलिस आईजी दीपक कुमार के रिश्तेदारों ने 1130 और 1020 वर्ग मीटर ज़मीन ट्रस्ट से खरीद ली। भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में नेताओं ने भी हाथ धोया। अयोध्या जिले में गोसाईंगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। यूपी काडर के रिटायर्ड आईएएस अफ़सर उमाधर द्विवेदी ने भी अयोध्या की यह जमीन खरीदी।

भव्य पर्यटन का विकास

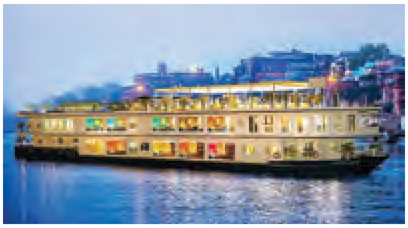

अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने से बड़े पैमाने पर पर्यटन का विकास होगा। देश विदेश से बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे, सरयू नदी में बड़ी बड़ी भव्य नौकायें चले का इरादा है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, छोटी छोटी नौकाएं चला कर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले मल्लाहों का क्या होगा? बड़ी नौका खरीदना जिनके वश के बाहर है। उनका और उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्या इसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है? तुलसी दास दूबे की पुस्तक रामचरित

मोदी क्यों नहीं बन पाए मुख्य जजमान

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मोदी जी

अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सात दिनों तक चलाने वाले विशेष अनुष्ठान के मुख्य जजमान अनिल मिश्रा रहे। अनिल मिश्रा भारत सरकार की ओर से गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी हैं और आरएसएस से जुड़े हुए। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी प्रतीकात्मक जजमान रहे। मोदी क्यों नहीं बन पाए मुख्य जजमान इसका जबाब बहुत कठिन नहीं है, उनकी जाति मोड़ घाची है जो उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश में तेली नाम से जानी जाती है। सनातनी ब्राहमणवादी व्यस्था में तेलियों को शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, पूर्वांचल के गांवों में इस तरह की कहावतें आम हैं कि 'सनका सांप, गाँव का तेली, विधवा नार जो पड़ी अकेली।'अर्थात जब आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो गुस्साया सांप, गाँव का तेली या विधवा नारी दिख जाए तो जाना सुरक्षित नही है। ऐसे में मोदी जी को यजमान बनाने में शायद येसा पूर्वाग्रह भी हो सकता है। यह समस्त ओबीसी वर्ग का अपमान है कि उन्हें आज भी यजमानी के योग्य नही समझा जाता है।

मानस में केवट या मल्लाह को अस्पृश्य कहा गया है:-

'लोक वेद सबही विधि नीचा,
जासु छांह छुइ लेइअ सींचा।

अर्थात् केवट लोक और वेद में सभी प्रकार से नीच है और उसे छूकर आचमन करना चाहिए। इस प्रकार किसी जाति विशेष को सब प्रकार से नीचे और अस्पृश्य घोषित करने वाले ग्रन्थ के लेखक का सम्मान क्या भारत के संविधान का अपमान नहीं है ।

राम राज्य आया तो सबसे उपरी पायदान पर कौन होगा

जाति सोपान

थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि राम राज्य आ गया है तो देश की विभिन्न जातियों का क्या होगा। जातीय श्रेष्ठता क्रम में सबसे ऊपर कौन होगा? भारतीय जातीय श्रेष्ठता क्रम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, इसके बाद क्षत्रियों की स्थिति है फिर वैश्य और सबसे अंत में शूद्र आता है शूद्रों में भी दो विभाजन है सछूत और अछूत| लगभग सभी पिछड़ी जातियां जो शूद्र में शामिल है सछूत की श्रेणी में हैं अछूत वर्ग में देश की ज्यादातर अनुसूचित जातियां शामिल हैं। आज भारत का संविधान किसी जाति को अधम या पापी कहना जुर्म मानता है। पंडित तुलसी दास ने अपने रामचरित मानस में कई जातियों को अधम और पापी कहा है:-

जो वर्णाधम तेल कुम्हारा,
श्वपच किरात कोल कलवारा।
आभीर, यवन, किरात,
खस शवपचादि अति अघरूप जे।

अर्थात् तेली, कुम्हार, भंगी, बहेलिया, कोल, कलवार अधम वर्ण के लोग हैं ये पापी कौमें हैं। क्योंकि अहीर, मुसलमान, बहेलिया, खटिक, भंगी आदि को पापी कौम बताया गया है जिसमें किरात और श्वपच उभयनिष्ट हैं।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग भारत में शूद की संज्ञा से भी पुकारे जाते हैं जिन्हें तुलसीदास दूबे ने अपने रामचरित मानस में पशुओं या निर्जीव की कोटि में रखते हुए सुझाव दिया है।

ढोल गँवार शूद्र पशु नारी,

तमिलनाडु में नहीं हो सका राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण

तमिलनाडू

राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सार्वजानिक रूप से लाइव प्रसारण कार्यक्रम नहीं हो सका| केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर ट्विट किया था। राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को तमिलनाडु सरकार द्वारा मौखिक रूप से रोक लगाए जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जहां तमिलनाडु सरकार ने किसी भी तरह से रोक लगाए जाने से इंकार किया वहीं कोर्ट ने अधिकारियों को लाइव प्रसारण की अनुमति नहीं देने पर फटकार लगाई।

ये सब ताइन के अधिकारी।

यानी कहाँ तो ढोल और पशु और कहाँ शूद्र और नारी इनको समान कोटि में रखकर अकारण पिटाई करने का अधिकार सवर्णों के हाथ में देता है

'भारत का संविधान' सरकारी नौकरियों में, अदालत या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान या कार्य में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा किन्तु तुलसीदास दूबे अपने रामचरित मानस में यह व्यवस्था देते हैं। कि:

पूजिय विप्र सकल गुण हीना,
शूद्र न गुणगण, ज्ञान प्रवीना ।

राम प्रतिमा "प्राण प्रतिष्ठा" में राजनीतिज्ञों के शामिल होने का औचित्य?

चंद्रभूषण सिंह यादव
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक -सामाजिक चिंतक

अव्वलन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है लेकिन वर्तमान दौर में भारतीय सत्ता में धर्म प्रेषित कर इसको इतना न धर्म प्रेरित कर दिया गया है कि राजनीति करने वाले सेक्युलर लोग भी सहमे हुए हैं क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के डर से वे राजनीतिक मुद्दों पर खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं।

धर्म और राजनीति दो अलग - अलग क्षेत्र हैं।भारतीय संदर्भ में धर्म विविध हैं जिनमें बहुसंख्यकों के धर्म के साथ- साथ अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न धर्म हैं जिनमें इस्लाम, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि प्रमुख हैं। दुनियां में जो बहुसंख्यक होता है वह लचीला होता है और अल्पसंख्यक की हित रक्षा करता है न कि भयाक्रांत करता है। देश वही तरक्की करता है जो अल्पसंख्यक को प्रोटेक्ट करता है लेकिन भारत में धर्म में राजनीति के आ जाने से भय पैदा कर धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है जो मंहगाई, बेकारी, अशिक्षा,हिंसा बढ़ाने के साथ -साथ दुनिया के मुकाबले हमे गर्त में ले जा रही है लेकिन हम धर्म का अफीम खा बैराए हुए हैं।

धर्म का काम व्यक्ति में शील निर्माण होता है जबकि राजनीति प्रत्येक प्राणी के बुनियादी सुविधाओ की बेहतरी के लिए काम करता है। भारत में धर्म का इस्तेमाल सत्ता एवं राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाने से राजनीति का असली मकसद खत्म हो गया है।

अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। बने, जिसकी आस्था होगी वह उसमे शामिल होगा लेकिन इसे राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास कर देश के गैर हिंदुओ या सेक्युलर हिंदुओ को राष्ट्रद्रोही बनाने की साजिशे की जा रही हैं। ऐसा वे लोग कर रहे हैं जिन्हे भारतीयता पता नहीं है या जो भारतीय संविधान को लांछित करने पर आमादा हैं।

राजनीति करने वालो का काम मंदिर बनाना या मंदिर का उद्घाटन करना नहीं है। मन्दिर बनाना,उसमे प्राण प्रतिष्ठा करना पुजारियों, शंकराचार्यों आदि का काम है जो इस राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा ही नहीं रहे हैं।जिनका काम अस्पताल, यूनिवर्सिटी, सड़क, पुल, कारखाने लगाने का है वे इन कार्यों को कर पाने मे फिसड्डी साबित होने के बाद मंदिर- मन्दिर और मूर्ति - मूर्ति खेल रहे हैं।

मुझे समझ में नहीं आता है राजनीति करने वाले लोग क्यो ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु लालायित रहते हैं। हमे निर्भय हो राजनीति और धर्म को स्पष्टता अलग - अलग करना होगा।मैं कांग्रेस पार्टी और बसपा को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने निम्नत्रण मिलने के बाद स्पष्ट कह दिया है कि वे राम मन्दिर के इस 22 जनवरी 2024 वाले कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे।

अर्थात् सारे गुणों से रहित होने पर भी ब्राह्मण की पूजा करो और अनेक गुणों से युक्त चुनाव लोग ज्ञानी और प्रवीण शूद्र की कभी भी पूजा मत करो एक अन्य स्थान पर पंडित तुलसीदास ब्राहमणों को विशेष स्थान देते हुए कहते है कि -

शापत ताड़त परूष कहंता,
विप्र पूज्य अस गावहि सन्ता ।

ब्राह्मण चाहे शाप दे, मारे या गाली दे फिर भी उनकी पूजा ही की जानी चाहिए शूद्र और स्त्री को तो अपनी मौज या गुस्सा उतारने के लिए जब चाहो तब पीटो लेकिन बदतमीज और कानून शिकनी करने वाले ब्राह्मण की पूजा करो।

'भारत का संविधान' अनिवार्य शिक्षा लागू करने का संकल्प लेता है। तुलसी दास दूबे शूद्र को शिक्षा देना ऐसा ही समझते हैं जैसे साँप को दूध पिलाना। यानी शूद्र साँप है और शिक्षा दूध। जनश्रुति के अनुसार साँप को दूध पिलाने से वह अधिक विषैला हो जाता है। उसी प्रकार तुलसीदास दूबे के अनुसार शूद्र विद्या पाने से अधिक खतरनाक हो जाता है रामचरित मानस के काकभुसुंडि गरूड़ संवाद में काकभुसुंडि पूर्वजन्म में शूद होने की बात कहते हुए कहता हैः-

अधम जाति मैं विद्या पाए,
भयउँ यथा अहि दूध पिलाये।

राम राज्य में महिलाओं की स्थिति

भारतीय परम्परागत परिधान में महिलाएं

राम राज्य में देश की संपूर्ण महिलाओं का क्या होगा? आज जबकि दुनिया में लैंगिक समानता की बात की जा रही है, उनके अपने अधिकार हैं ऐसे में क्या उन्हें सीता की तरह परीक्षा देनी होगी? सवाल सिर्फ दलितों, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिलाओं तक ही नहीं है बल्कि उन सभी महिलाओं का भी है, जिन्हें धर्म दोयम दर्जे का ठहराता है और द्विजों और पुरुषों की सेवा करना ही जिनका कर्तव्य घोषित करता है। राम राज्य में वर्ण-जाति व्यवस्था एवं पितृसत्ता की असमानताकारी व्यवस्था के भीतर जिन्हें लाने की कोशिश की जाएगी। पंडित तुलसीदास का महाग्रन्थ महिलाओं को अकारण पीटने अपढ़ रखने और तिरस्कार करने का फतवा देता है। नारी को पशु की श्रेणी में रख कर गुस्सा आने पर उसकी पिटाई करने का फतवा ऊपर तुलसीदास दूबे दे ही चुके हैं। वे नारी स्वतंत्रता के भी प्रबल विरोधी हैं।

महावृष्टि चलि फूटि कियारी,
कि जिमि स्वतंत्र होइ विगरहि नारी।

जैसे अत्यंत वर्षा से खेतों की मेंड़े फूट जाती है ऐसे ही स्वतंत्र होकर स्त्री भी बिगड़ जाती है।

तुलसीदास ने रामचरित मानस में राम के मुख से उपर्युक्त फतवा दिलाकर नारी की स्वतंत्रता समाप्त करने की राह बनायीः-

राखिय नारि यदपि उर माँही,
युवती शास्त्र नृपत वश नाहीं ।

बिहार का नवस्थापित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल

बिहार के समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसआरजेएमसीएच) का उद्घाटन

21 जनवरी 2024 को आरजेडी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर नरघोघी में 674 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसआरजेएमसीएच) का उद्घाटन किया।

500 बेड वाला यह बिहार का अत्याधुनिक अस्पताल है, एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में 100 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसकी सभी इमारतें भूकंपरोधी हैं। इन इमारतों का निर्माण पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए किया गया था। कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों और छात्रों के लिए परिसर के भीतर आवासीय आवास प्रदान किया गया है। मरीजों के रिश्तेदारों को अस्थायी रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिसर में एक 'धर्मशाला' भी बनाई गई है। इस मेडिकल कॉलेज का इंतजार समस्तीपुर और आसपास के जिलों के लोगों को बेसब्री से था।

ऐसे स्त्री जाति के प्रति संशय की भावना पनपाई और अन्त में यहाँ तक कह दिया

एक मूल बहु शूल प्रद प्रमदा
सब दुःख खानि ।

यानी नारी अनेक दुखों को देने का एक मात्र मूल कारण है।

सौन्दर्यीकरण से प्रभावित लोगों की पीड़ा

अयोध्या में ध्वस्त किये गये लोगों मकान

मंदिर जाने के लिए हुए विस्तृत चौडीकरण में बहुत से लोगों का घर गिरा दिया गया, उनकी रोजी रोटी के साधन छिन्न-भिन्न हो गए। सड़क को 45 फीट तक चौड़ा किया गया है। बहुत से लोगों को प्रापर रूप से मुआबजा भी नहीं मिला। पंचकोशी मार्ग के चौडीकरण से प्रभावित विष्णु कांत गुप्ता ने कहा, "सरकार ने हमारा मकान गिरा दिया है। हम वर्षों से यहां रह रहे थे। हम चार भाई हैं। मकान का आधा हिस्सा तोड़ देने के कारण अब घर छोटा हो गया है। मेरे घर का 13 फीट हिस्सा सड़क में चला गया है। सरकार ने मुआवजे के रूप में 6 लाख रुपए मिला है। हम चार भाइयों के हिस्से में डेढ़-डेढ़ लाख रुपया ही आया है। राम मंदिर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर अहिराना मोहल्ला मौजूद था। इसमें लगभग 25 से अधिक पक्के मकान थे, जिन्हे तोड़ दिया गया है। अहिरान मोहल्ले के राजन कहते हैं, "राम मंदिर बन रहा है विश्व यही चाहता है, लेकिन किसी का घर उजाड़ कर राम मंदिर बनाना अच्छी बात नहीं है। मेरे मोहल्ले में लगभग सात परिवार ऐसे हैं, जिन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। क्या सरकार को हमारी पीड़ा नहीं समझनी चाहिए। ▪

नरेन्द्र प्रताप
मो.न. +91 94531 71770

लौटन राम निषाद
सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतक

"राम राज्य आ जाएगा तो देश का संचालन कैसे किया जाएगा? लगभग 77 साल हुए देश की आजादी के देश के कई क्षेत्रों में आज भी छुआ छूत भयानक रूप से व्याप्त है जहाँ की पानी पीने के मटके को छू देने भर से दलित छात्र की इतनी बर्बरता से पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाति है, आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में दलित जाति के लोग अपनी शादियों में घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरी जाति में शादी करने पर देश में आज भी बड़े पैमाने पर आनर किलिंग के मामले आते हैं। सबसे उच्च पद पर पदस्थ देश के प्रथम नागरिक को राम जन्भूमि के कार्यक्रमों से दूर रखा जाता है क्यों? क्यों कि वो आदिवासी समुदाय से आती है। पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर जाने पर उन्हें दूर से दर्शन कराया जाता है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं? मंदिर को धो कर पवित्र किया जाता है। देश में बहुत सी आदिवासी जातियां हैं जो न तो हिंदू हैं और न ही मुस्लिम। उनका अपना स्थानीय धर्म है। राम राज्य स्थापना के बाद उन आदिवासी जातियों का क्या होगा। जातीय श्रेष्ठता के किस क्रम में उन्हें स्थान मिलेगा। उन्हें उच्च दर्जा मिलेगा या निम्न दर्जा मिलेगा? यदि उन्हें निम्न दर्जे में शामिल किया जाता है तो वे राम राज्य में क्यों शामिल होंगे। उन्हें लिए तो धर्म निरपेक्ष भारत ही सही है जहाँ उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है"

मुद्दा

मूर्ति निर्माण के बहाने

राम मंदिर निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश में जातीय पहचान की राजनीती का दौर शुरू हो चुका है। सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दे गौड़ हो गये है। मूर्तियों की राजनीती शुरू हो गयी है। राम मंदिर निर्माण के के साथ ही भाजपा लोगों का विकास और रोजगार के मुद्दे से ध्यान हटाना चाह रही है। साथ ही साथ भाजपा सवर्ण सांस्कृतिक साम्राज्यवाद देश की जनता पर थोपना भी चाहती है, इस खेल में भाजपा के साथ संघ भी शामिल है। अयोध्या में निर्मित लतामंगेस्कर चौक की स्थापना सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की दिशा में एक कदम है।राम जहाँ क्षत्रिय अस्मिता का प्रतिनिधित्व करते है वहीँ परशुराम ब्राह्मण अस्मिता के प्रतीक हैं। जगह जगह रामायण के प्रतीकों को स्थापित किया जा रहा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, हवाई अड्डे के नामकरण के पीछे की मंशा बाल्मीकि वोट बैंक को लुभानना है। अन्य दूसरी जातियों ने भी अपने अपने पहचान के लिए प्रतीक ढूढने शुरू कर दिए।

प्रतीकों और स्मारकों के निर्माण में हम क्यों भूल जाते है की यदि प्रतीक और स्मारक निर्माण से कुछ होता तो भारत से बौध धर्म का पतन कभी न होता। आज जहाँ बौध धर्म विश्व के कई देशो में फैला हुआ है वही भारत में इसके पहचान का संकट है। बुद्ध भगवान बना दिए गये| मूर्ति पूजा के विरोधी वुद्ध को भगवान बनाकर पूजने का दौर शुरू हो गया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में महात्मा वुद्ध की मूर्ति लगा कर, उनकी शिक्षाओं से दूर उन्हें अलौकिक पुरुष बनाने की कोशिश की गई है। उनकी शिक्षाओं से अधिक उनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी। बुद्ध हिन्दू देवता विष्णु के एक अवतार बनकर रह गये।

भारत में बौद्ध धर्म हिंदु धर्म की छवि से स्वतंत्र नहीं हो सका। सम्राट अशोक द्वारा स्तूपों और शिला लेखों का निर्माण भी भारत में बौध धर्म को स्वतंत्र धर्म का दर्जा नहीं दिला सके। बुद्ध के उपासक डॉ. भीम राव अम्बेडकर भी भगवान बनाने के करीब है, उनकी भी प्रतिमाओ का दुग्धाभिषेक आरम्भ हो चुका है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान से छपने वाली बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वांगमय प्रकाशित होना लगभग बंद हो चुकी है।

"

राम मन्दिर के बहाने मोदी ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना का आगाज़ कर दिया. और हिंदुओं ने, करतल ध्वनि से इसका स्वागत भी किया। भारत में हिंदू राज्य कायम करने के लिए 1924 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, सौ साल बाद 2024 में वे इसमें कामयाब हो गए। इस कामयाबी में भारत के सम्पूर्ण ब्राह्मण तंत्र ने सहयोग किया, जिसमें हिंदू पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, बुद्धिजीवी, संपादक, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, जज और चेतनाहीन दलित-पिछड़ी जातियां सब शामिल हैं। अब बस एक डर है और वह यह कि जिस जनता ने मोदी के एक आह्वान पर इतना बड़ा उन्मादी तांडव खड़ा कर दिया, वह एक आह्वान पर कल कुछ भी कर सकती है, नर-संहार भी।

प्रोफेसर विक्रम
इलाहबाद विश्वविद्यालय

"

राम लला की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा

22 जनवरी : संविधान प्रस्तावना दिवस

22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है जो भारत के बहुजनों को मनुवाद की बेतरतीब दुस्वारियों से मुक्त कर एक स्वतन्त्र व स्वच्छंद वातावरण की गारंटी देता है।

भारत में जातियां परम सत्य है। आप धर्म बदलने के लिए तो स्वतंत्र है लेकिन जाति नहीं। जातियों की इस राजनीती में हम यह क्यों भूल रहे है कि भारत में हजारों जातियां हैं और उन जातियों में भी उपजातियां। हर जाति के कोई न कोई कोई देवता और महापुरुष भी होंगे। ऐसे में यदि मूर्तियाँ लगवानी है तो कुछ जातियों के ही क्यों? मूर्तियाँ तो जातीय संगठनो से जुड़े लोग लगवा ही लेगें लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा मूर्तियाँ लगवाना कहाँ तक सही है? मै मूर्तियाँ विरोध कर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाह रही हूँ। भारतीय संविधान ने सभी को अपने अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

पिछड़ी और दलित जातियों की पहचान को भी सुनिश्चित करना। अयोध्या में मूर्तियों की स्थापना आध्यातिक कम राजनीतिक अधिक है। यह देश में संस्कृति वर्चस्व को बनाये रखने का एक प्रयोग है, पर्व में भी बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एक जाति विशेष को वरीयता दिया, हश्र क्या हुआ? यदि ब्राहमण तुष्टिकरण से कल्याण होता तो उत्तर पदेश से बसपा का राजनीतिक पतन न होता याद कीजिये बसपा का वो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो सतीश मिश्रा के साथ मिलकर मायावती ने बनाया था। सोशल इंजीनियरिंग के इसी फार्मूले के तहत अन्य दलित जातियां हासिये पर जाने के साथ ही मान्यवर कांशीराम की दलितों और पिछड़ो को जोड़ने को जोड़ने के प्रयास पर पानी फिर गया, बसपा के अन्य दलित वोटर उससे बिदक गये और आज बसपा एक जाति विशेष की पार्टी का तमगा लिए घूम रही है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे। ब्राहमण तुष्टिकरण के चक्कर में लोग भूल कैसे जाते हैं कि ब्राहमण वोटर हर हाल में भाजपा के साथ जाएगा, बिना मांगे दस प्रतिशत आरक्षण भाजपा ने ही दिया है। ▪

(लेखक के निजी विचार है।)

उषा सेन
सामाजिक कार्यकर्ता

रामराज में शंबूक

रामराज आ गया है, राम राज को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं बहुत से लोगों का यह कहना है कि तमाम शक्षणिक संस्थाएं विशेष कर विश्वविद्यालयों के संदर्भ में शंबूक दलित पिछड़े वर्ग का हो। रामराज में शंबूक का क्या हाल होता है। इसी संदर्भ में जाने माने सामाजिक चिंतक और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव ने अपनी पुस्तक सच्ची रामायण को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाईयां लड़ी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रामायण को काल्पनिक मानते हुए एक पुस्तक के रूप में सच्ची रामायण को भी एक किताब माना और उसे प्रतिबंधों से मुक्त किया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को हर्जाना भी देना पड़ा। ललई सिंह यादव ने अपने नाटक शंबूक वध की भूमिका में लिखा है कि हम अब भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गुलाम सवर्ण हिंदुओं (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों)के हैं। हमें अपनी आजादी स्वतः प्राप्त करना है, स्वत रक्षा करना है अन्य के भरोसे नहीं रहना है। प्रस्तुत है नाटक के कुछ अंश...

▪ **संकलन : नरेन्द्र प्रताप**

शम्बूक वध (नाटक)

राम- हे ब्राह्मण देवता! मैं आपको आदेश देता हूं, आज राज्यसभा में स्पष्ट करो कि आपके बालक की मृत्यु का उत्तरदायित्व एकमात्र मुझ राजा 'राम' पर ही क्यों है?

नारद- राजन! व्यथित मत हों। अवश्य ही आप इस अकाल मृत्यु के उत्तरदायी हैं। किंतु आपकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप एक कुशल शासक होने के नाते संपूर्ण प्रजा से पिता तुल्य व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि अनेक बड़ी-बड़ी भूलें आप की आंखों से ओझल रहती हैं। मैं कारण स्पष्ट करता हूं। आपको रास्ता बताता हूं। मेरे बताए हुए उपाय को प्रयोग करेंगे। निश्चय ही यह मृत पुत्र शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और समस्त ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य लोगों पर पड़ रहे असामयिक संकट भी दूर हो जाएंगे।

राम- आप ही बताइए नारद जी! इस ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु का क्या कारण है और इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है?

नारद- राजन! मंत्रिगण एवं अन्य उपस्थित सभासदो! सुनो, राम के राज्य के भीतर दण्डकारण्य में एक शूद्र जिसका नाम 'शम्बूक' है, तपस्या कर रहा है। वह सदेह बैकुण्ठ जाना चाहता है। इसके साथ ही साथ वह शूद्र यहां के आर्य लोगों की समानता का दावा भी कर चुका है। इस दावा को सफलता के लिए उसने अपनी क्रांतिकारी योजनाएं 'सैनिक बल' व 'समाजोद्धारक समिति' जैसे ठोस संगठन भी बनाए हैं। इसलिए हे राम! यदि तुम उस शूद्र 'शम्बूक' को मार दो, तो यह लड़का जीवित हो जाएगा और राज्य में उत्पन्न हुई समस्त विपदाएं भी अवश्य ही जाती रहेंगी।

राम- मानवाधिकार के अनुसार आर्य व अनार्य सभी को पूजा, पाठ, तप और व्रत करने का अधिकार है। भगवान सबके और सभी भगवान के हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रजा मेरी और मैं सभी का राजा हूं। अस्तु मैं किसी

के भगवत अधिकारों का इस तरह खुलेआम हनन नहीं कर सकता? मेरा एकमात्र सिद्धांत है कि सभी सुखी रहें एवं सभी राष्ट्र भक्त हों।

नारद- मैं भी यही चाहता हूं राजन कि तुम पग-पग पर अपने धर्म का पालन करो। परंतु तुम्हारा यह भी धर्म है कि यदि कोई अत्याचार करे या अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन करे, तो उसे अवश्यमेव दण्ड दो। इसलिए हे राम! तुम्हें उस दुष्ट महर्षि 'शम्बूक' को अवश्य ही दण्ड देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को मारने से समस्त प्रजा को सुख मिलता है, तो उसे मारने में कोई पाप नहीं। ऐसी नीति शास्त्र का आदेश है।

राम- किंतु महर्षि 'शम्बूक' कौन-सा अनर्थ कर रहा है? वह केवल तपस्या ही कर रहा है। तपस्या अधिकारों का अतिक्रमण नहीं। ।

नारद- भूलते हो राम! सबके अधिकार अलग-अलग हैं। सतयुग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या का अधिकार था। उस समय क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी तपस्या नहीं कर सकता था।

राम- (मामूली क्रोधित दशा में) केवल ब्राह्मण ही तपस्या के अधिकारी थे? शेष सभी ईश्वर की संतानें नहीं हैं।

नारद- (प्रार्थनापूर्वक) हैं सभी; रुष्ट न हों राम । सुनो, जब त्रेता युग आया, तब यह अधिकार क्षत्रियों को भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य तपस्या करता है, तो वह अनर्थ है।

राम- किंतु किसी के... ... कार्य से हमें क्या मतलब ।

नारद- नीच वर्ण के तपस्या करने से देवतागण असंतुष्ट होते हैं। उसी असंतुष्टि का परिणाम यह है कि ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे कितने ही कष्ट प्रजा को दैवी प्रकोप के कारण मिल रहे हैं। यह आपको क्या मालूम? हमारे समान भ्रमण करने वाले ही जान सकते हैं। उस महर्षि 'शम्बूक' ने एक 'आदिवासी महाविद्यालय' खोला है, जो केवल अनार्यों को शिक्षा प्राप्त करने का केन्द्र है। वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहा है।

राम- कैसा राज्य के विरुद्ध विद्रोह? शीघ्र स्पष्ट कीजिए मुनिवर ।

नारद- राजन! इसके नेतृत्व में चल रही 'समाजोद्धारक समिति' आपके विरोध में प्रजा को भड़काती है तथा उसने बहुत बड़े संगठित 'सैनिक दल' का संगठन भी किया है। शीघ्र ही आपके विरोध में एक बहुत बड़ी जनक्रांति होने वाली है और जिस समय आप उस क्रांति को रोकने में व्यस्त होंगे, उसी समय आप पर आक्रमण कर दिया जाएगा तथा क्षण भर में आपको परास्त कर राज पद से अलग कर दिया

जाएगा। यह है महर्षि 'शम्बूक' की बहुमुखी योजना ।

राम- यह सब होने जा रहा है।

नारद- हां राजन! यह सब तत्काल होने जा रहा है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाओ राम। बिना किसी वाद-विवाद के उस शूद्र महर्षि 'शम्बूक' को मार दो। बस; इतनी हमारी सम्मति है। हम जाते हैं, नारायण! नारायण !!

(नारद का संपूर्ण ऋषियों सहित प्रस्थान)

वशिष्ठ- राजन! मेरी ओर से आज्ञा है कि तुम उस शूद्र महर्षि 'शम्बूक' का वध करो राम। तब इस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक तुरंत ही जीवित हो जाएगा।

राम- गुरुजी! मैं समस्त 'राज्यसभा' के समक्ष प्रण करता हूं कि मैं अवश्य ही उस वर्णाश्रम धर्म एवं आर्य राज्य विरोधी दुष्ट महर्षि 'शम्बूक' शूद्र का तुरंत वध करूंगा।

(कहकर खड़े हो जाते हैं और प्रस्थान) (राज्य सभा भी विसर्जित होती है) (पटाक्षेप)

दृश्य-3

(स्थान—दण्डकारण्य) (समय-सायंकाल)

(शम्बूक मुनि' भूमि पर ही आसन जमाए बैठे तपस्या कर रहे हैं।राम का स-शस्त्र प्रवेश । लक्ष्मण भी स-शस्त्र पास ही कुछ दूर पर किसी बड़े झगड़े की ताक में समीपी झाड़ी की आड़ में छिपे खड़े हैं।)

राम- कहिए ऋषिवर! आप कौन हैं?

शम्बूक- (राम के राजमुकुट की ओर देखते हुए) राजन! मैं 'शम्बूक' हूं। तुम्हारा क्या परिचय है?

राम- मैं अयोध्या का राजा 'राम' हूं। महाराज, आप मुझे बताइए कि आप किस वर्ण के हैं?

शम्बूक- राम !मैं मनुष्य वर्ण का हूं। भारत का आदिवासी हूं।

राम- समस्त आदिवासी शूद्र वर्ण के माने गए हैं। शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार वर्ण-व्यवस्थानुसार नहीं है। आप तपस्या क्यों करते हैं?

शम्बूक- राजन! तपस्या और भगवत भजन करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को है, चाहे सवर्ण हो या शूद्र ।

राम- अवश्य; तुम शूद्र की तपस्या के फलस्वरूप हमारे राज्य में पाप छा गया है। जिसके कारण प्रजा में दैवी प्रकोप हो रहा है। जिधर देखिए अनावृष्टि, तुषार व अन्य कारणों से जनता में त्राहि-त्राहि मची है। ब्राह्मण का बालक कम आयु में मर गया है, तेरी समाजोद्धारक समिति आर्य वर्ण-व्यवस्था का ब्राह्मणी कर्मकाण्ड का घनघोर विरोध कर रही है। साथ ही साथ तूने राज्य में विरोध में जनक्रांति का व्यूह रचकर एक सुदृढ़ 'सैनिक दल' का संगठन किया है। अस्तु तू मरने के लिए तैयार हो जा।

शम्बूक- राजन! यह आपका भय है। मैंने एक पिछड़े समाज को उठाने का प्रयत्न मात्र किया है। उनका पुनः स्वराज्य प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आप इसे ही राजद्रोह कहते हैं, तो ठीक है।

राम- हां! मैं इसी को राजद्रोह कहता हूं। पिछड़े समाज को उठाना तेरा नहीं... मेरा कर्तव्य है।

तुंगभद्रा- राजन राम! यद्यपि मेरे पतिदेव निर्दोषी हैं, फिर भी मैं आपसे उनके प्राणों की भीख मांगती हूं।

शम्बूक- प्रिये !तुम चुप रहो। मैं मानवीय अधिकारों को प्राप्त करना व अपने भाइयों को पुनः स्वतंत्र कराना अपना धर्म समझता हूं।

राम- यह तेरी धृष्टता मात्र है 'शम्बूक'। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता । (राम 'शम्बूक' पर तलवार का प्रहार करते हैं। शम्बूक 'हां अधिकार' !कहकर प्राण छोड़ देते हैं। राम के हाथ में लहूलुहान कृपाण रह जाती है।)

तुंगभद्रा- (अचेत होकर गिर पड़ती है, कुछ होश आने पर) ओ शराबी, कवाबी हत्यारे राम! तूने जीवन भर यही कुकृत्य किए हैं। नीति विरुद्ध ताड़का वध, आदिवासी महाराजाधिराज रावण की बहिन सूर्पणखा के नाक, कान काटने, बहु पत्नी होते हुए अन्य स्त्रियों से प्रेम, शौर्य विरुद्ध बालि वध, राज्य नियम विरुद्ध गर्भिणी सीता को निःसहाय जंगल में छोड़ देने तथा न्याय विरुद्ध मेरे पतिदेव का वध आदि घटनाओं को भावी संतानें सत्य की तराजु पर अवश्य तौलेंगी और अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को जैसे बनेगा, तैसे शांति से अथवा क्रांति से लेकर ही चैन की सांस लेंगी ।...

(कहकर धड़ाम से धराशायी होकर पति वियोग में प्राण छोड़ देती है।) (पटाक्षेप) ▪

क्या मोदी-योगी का राम धुन उन्हें 2024 में यूपी जिता सकता है?

भारतीय संसद में 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश एक बैटल ग्राउंड स्टेट है। हिंदी हार्टलैंड को जीते बिना, नई दिल्ली में पूर्ण सत्ता तक पहुंचना कठिन है। नरेंद्र मोदी यह जानते हैं। उन्होंने बनारस को चुना और 2014 में गंगा का आह्वान किया। 2014 में, वह उत्तर प्रदेश के साधारण लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राम धुन बांसुरी बजा रहे हैं और लचीला और सौम्य मीडिया इशारों पर नाच रहा है रात दिन उदघोष कर रहा है कि मोदी अजेय हैं। अतार्किक तर्कों को सही ठहराने के लिए वे अंधविश्वास, अज्ञानता, पौराणिक कथाएं और फर्जी खबरें बेच रहे हैं।

अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में एक बंदर प्रवेश कर गया और मूर्ति के पास चला गया, मौजूद सुरक्षाकर्मी पहले चिंतित थे कि यह मूर्ति को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन बंदर शांति से पास गया और फिर बिना कोई समस्या पैदा किए बाहर निकल गया। भक्तों और सुरक्षा कर्मचारियों ने इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा, कुछ ने इसे हिंदू भगवान हनुमान से जोड़ा, जो भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने इसे धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व देते हुए टिप्पणी की कि ऐसा लगता है जैसे हनुमान स्वयं भगवान राम की मूर्ति को देखने आए थे।

यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हाई-प्रोफाइल राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के कुछ ही दिनों बाद आया है। इस आयोजन और इसके व्यापक प्रचार के माध्यम से, भाजपा का लक्ष्य धार्मिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करके आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है।

यूपी में, जहां अयोध्या स्थित है, मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की 80 सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस घटना को विपक्ष को हिंदू विरोधी के रूप में पेश करते हुए अपने हिंदू समर्थक आधार को और उत्साहित करने के लिए भाजपा द्वारा प्रचारित किए जाने की संभावना है।

तो, 'धार्मिक चमत्कार' चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर की भावना पर सवार होने के भाजपा के राजनीतिक मकसद से जुड़ता है।

उत्तर भारत में, ओबीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हनुमान का रूपक बहुत गहराई तक व्याप्त है। हनुमान विशेष रूप से यूपी और बिहार में यादव समुदाय द्वारा पूजनीय हैं, जिनका कृषि और कारीगर व्यवसाय है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, जो स्वयं एक यादव हैं, ने एक भव्य हनुमान प्रतिमा बनवाकर इस पर जोर दिया।

एक मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस को रोकने की कोशिश के लिए भाजपा के क्रोध का सामना करना पड़ा, जो बढ़ते हिंदू-ओबीसी तनाव को दर्शाता है। मुलायम को कृष्ण के समावेशी संदेश में अधिक आकर्षण मिला जो सीमाओं और जातियों से परे है।

मंदिर मुद्दे के माध्यम से राम पर भाजपा का अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से महत्वपूर्ण ओबीसी वोट बैंक के खिसकने का खतरा है। यादव जैसे ओबीसी अपनी सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए वोटों के लिए आस्था का इस्तेमाल करने की भाजपा की चाल को समझ सकते हैं। किसी को यह देखना होगा कि क्या राम मंदिर का प्रचार भाजपा और प्रमुख ओबीसी नेताओं के बीच ऐतिहासिक समीकरणों को खत्म कर सकता है। चुनाव दिखाएंगे कि क्या ओबीसी एकीकरण उनकी गरिमा और हितों का सम्मान करते हुए अधिक समाजवादी पार्टियों की ओर स्थानांतरित होता है।

यदि ओबीसी विभाजनकारी बहुसंख्यकवाद के बजाय समावेशिता का पालन करते हैं तो भाजपा का एक-आयामी हिंदुत्व संदेश उल्टा पड़ सकता है। उत्तर भारतीय ओबीसी पारंपरिक रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दों की वकालत करने वाले समाजवादी या क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा की ऊंची जाति की हिंदू राष्ट्रवादी बयानबाजी अक्सर ओबीसी की मुखरता को उसके एजेंडे के लिए खतरा मानती है।

बाबरी विध्वंस और उसके बाद राम मंदिर

आयोध्या का लता मंगेशकर चौक

आंदोलन जैसी घटनाएं समाजवादी-ओबीसी सौहार्द को कमजोर करने के लिए ध्रुवीकरण की रणनीति रही हैं। हालाँकि, ओबीसी आबादी में हनुमान जैसे व्यक्तित्वों के साथ गहरा भावनात्मक लगाव है जो सामाजिक पदानुक्रम में उनके निचले स्थान को दर्शाता है। यह अब उनकी बढ़ती आर्थिक भागीदारी के कारण जटिल हो गया है जिससे पारंपरिक जातिगत समीकरणों पर खतरा मंडरा रहा है।

भाजपा उन ओबीसी युवाओं को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रही है जो केवल धार्मिक कट्टरता के बजाय सम्मान और विकास की आकांक्षा रखते हैं। सपा और राजद जैसी पार्टियां सांप्रदायिक एजेंडे का विरोध करने वाले मुलायम जैसे भाजपा विरोधी प्रतीक चिन्हों का हवाला देकर ओबीसी गौरव की अपील करने की कोशिश करती हैं।

यह देखना बाकी है कि क्या सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का वैकल्पिक एजेंडा अकेले राम की बयानबाजी से अधिक गूंजता है। लेकिन हिंदुत्व के माध्यम से मंडल गठबंधन को तोड़ने में भाजपा की सफलता दर्शाती है कि ओबीसी एकता को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

कुल मिलाकर, यह उत्तर भारत के सामाजिक रूप से प्रभावशाली लेकिन जटिल रूप से विकसित हो रहे ओबीसी वोटबैंक पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए एक तीव्र लड़ाई का चित्रण करता है। जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए (ओबीसी-दलित-मुस्लिम) एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यह आक्रामक हिंदुत्व ध्रुवीकरण का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से जुड़े बाबरी और राम मंदिर मुद्दों पर सपा के रक्षात्मक रुख से संतुष्ट नहीं हैं। धर्मनिरपेक्षता को अधिक मुखरता से कायम न रखने और विध्वंस का विरोध करने की मुलायम सिंह की विरासत की रक्षा न करने से, सपा को मुस्लिम सद्भावना खोने का खतरा है। इसकी तुलना में, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सांप्रदायिकता से निपटने में अधिक सुसंगत और आक्रामक रही है। इससे कांग्रेस को धार्मिक राष्ट्रवाद का विश्वसनीय विकल्प तलाश रहे मुसलमानों के बीच समर्थन हासिल करने में मदद मिलती दिख रही है।

सपा-कांग्रेस गठबंधन इस मुद्दे पर कांग्रेस की मजबूत साख के माध्यम से सपा की धर्मनिरपेक्ष छवि को बचा सकता है। यह भाजपा के रथ को सही मायने में चुनौती देने के लिए एक विश्वसनीय राष्ट्रवादी-धर्मनिरपेक्ष संयुक्त मोर्चा भी प्रदान करेगा।

अकेले जाने पर, सपा की सोशल इंजीनियरिंग हिंदुत्व प्रचार में कटौती नहीं कर सकती है क्योंकि मुस्लिम इससे कम प्रभावित दिखते हैं। इसलिए यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बीजेपी विरोधी वोटों को मजबूत करना एसपी के लिए अकेले जाने की तुलना में रणनीतिक रूप से अधिक विवेकपूर्ण लगता है।

मंदिर प्रचार के माध्यम से खुद को राम की छवि से जोड़कर मोदी खुद को पुनर्जन्म वाले मसीहा के रूप में चित्रित कर रहे हैं। मीडिया आउटलेट्स इस 'मोदी को राम' के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जो चुनावी लाभ के लिए आम मतदाताओं की असुरक्षा को दर्शाता है।

हालाँकि, इस तरह के अति धार्मिक प्रतीकवाद को आगे बढ़ाने से सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में भाजपा की असमर्थता छिप जाती है। आजादी के दशकों के बावजूद बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य असुरक्षा अधिकांश भारतीयों को परेशान कर रही है।

भारत की 132 की एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) रैंक भव्य मंदिरों के निर्माण के बावजूद वास्तविक मानव विकास की कमी को उजागर करती है। वोट के लिए आस्था का शोषण रोटी, कपड़ा, मकान की मांग से ध्यान भटकाता है, जिसके लिए लोग वास्तव में आंदोलन कर रहे हैं।

राम के बेशर्म राजनीतिकरण से आस्था की पवित्रता नष्ट होने और लोगों की आस्था को सत्ता की वस्तु मानने का जोखिम है। जब तक नौकरियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के साथ सामाजिक-धार्मिक प्रचार नहीं होगा, तब तक सत्ता विरोधी लहर को बढ़ावा मिलेगा।

आजीविका के मुद्दों और धार्मिक स्मारकवाद के मुद्दों के बीच असमानता को वंचित नागरिकों द्वारा देखा जाना चाहिए।

2019 में बीजेपी को पुलवामा के बाद राष्ट्रवादी उत्साह और पाकिस्तान के साथ तनाव का फायदा मिला था. इससे किसी भी सत्ता विरोधी लहर की भरपाई करने में मदद मिली और सभी जातियों में हिंदू वोट मोदी की मजबूत छवि के पीछे एकजुट हो गए। जबकि सपा-बसपा गठबंधन ने बीजेपी के कुछ वोट खा लिए, फिर भी वह द्विध्रुवीय चुनाव में बहुमत से पीछे रह गया। 2024 के लिए, राम मंदिर संबंधी बयानबाजी का उद्देश्य अकेले हिंदुत्व एजेंडे पर निर्णायक रूप से जीत हासिल करने के लिए 2019 प्रतिशत को पार करना है।

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बढ़ी है जिससे लोगों की जीवन वास्तविकताएँ प्रभावित हो रही हैं। विपक्ष अब गठबंधन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजबूत संदेश के माध्यम से भाजपा को चुनौती दे रहा है।

धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम भौतिक आजीविका संबंधी चिंताओं का ज़मीनी स्तर पर प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। पुनर्जीवित आय या अन्य कारक भी भाजपा के कुछ वोटों को विभाजित कर सकते हैं।

अधिकांश चुनाव अभी भी महीनों दूर हैं, आर्थिक स्थितियों के आधार पर भी बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए यह देखना बाकी है कि क्या राम मंदिर का उत्साह अकेले ही भाजपा को 50% के पार पहुंचा सकता है, या सत्ता विरोधी लहर और अन्य ताकतें उसके वोट शेयर में सेंध लगा सकती हैं? ▪

फ्रैंक हुजूर
सामाजिक चिंतक एवं लेखक
मो.न. +91 8879275281

ईवीएम को लेकर आक्रोश क्यों?

ईवीएम को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन

हाल ही में देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर उपजा असंतोष लोगों ने ईवीएम के प्रति संशय पैदा कर रहा है जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली सहित कई स्थानों पर ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्राताप व एड. महमूद प्राचा के अह्वान पर देश भर में ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हुए और ज्ञापन सौपे गए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने 30 जनवरी, 2024 को कहा कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईवीएम की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कंपनी) में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तब क्या ईवीएम सुरक्षित हैं? क्या इस स्थिति में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? इलेक्शंस की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मसले पर भारतीय निर्वाचन आयोग शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र बचाइए।

ईवीएम के मुद्दे पर विभिन्न दलों का रुख

कांग्रेस

देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का ईवीएम के प्रति रुख स्पष्ट नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने 199 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट में मिले कांग्रेस को वोट और ईवीएम में मिले कांग्रेस के वोटों का आकलन करने की बात कही थी। सिंह का कहना था कि वोटिंग पेटर्न में इतना बदलाव कैसे हो सकता है, जिन सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही है वहां ईवीएम में हार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर पोस्ट कर ईवीएम का ये राग छेड़ा था। उन्होंने कई देशों में ईवीएम पर रोक होने का भी हवाला दिया था।

बसपा

बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भिंड और मुरैना में आयोजित जनसभाओं में ईवीएम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं। मायावती ने कहा कि लोग यह जरूर सोचते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चार बार हुकूमत की है, लेकिन अब इस पार्टी का ग्राफ इतना नीचे क्यों आ गया? बोलीं- इसका जवाब मैं देती हूं, जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तब तक हमारी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम से होने लगे हैं, तब से हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे आता गया है और भाजपा सत्ता में आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दाल में कुछ तो काला है। ईवीएम पर सवार होकर यह (भाजपा वाले) कब तक सत्ता में आएंगे, जिस दिन ईवीएम का यह सिस्टम फेल हुआ, उस दिन भाजपा धरातल पर आ जाएगी।

"जब मशीन दो अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग व्यवहार करें अर्थात हम मशीन में एक बार किसी एक को वोट जिसको दिया लेकिन मशीन किसी दूसरे को वोट दिया तो हमें यह मान कर चलना चाहिए की मशीन में गड़बड़ी या खराबी है । इसके बाद प्रूफ करना चाहिए कि मशीन में गड़बड़ी नहीं है। 2019 के इलेक्शन से पहले जो चीफ इलेक्शन कमीश्नर है उन्होंने प्रेस कॉनफ्रेन्स करके कहा था कि ईवीएम मशीन को किसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। उसमें टेक्निकल कमेटी भी बैठी थी। दोनों इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे। तब हम दो महीने बाद उसे लैपटॉप और एस एल यू लेकर कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हम खुले आम झूठ कैसे बोल सकते हैं या लोगों को पता नहीं है। अगर पता है तो आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। हम बताना चाहते है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी संस्था है जिसका काम वोट करवाना नहीं बल्कि हमें वोट करना है इसलिए हमने इलेक्शन कमिशन बनाया। दूसरा सवाल हमें पूछना चाहिए वोट आखिर क्या है? आपने जाकर वह है वोट दिया। आपको एक पर्ची दिखाई दी जिसे दो जगह स्टोर कर दिया गया है। एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा वीवीपैट । मैं यदि सवाल करूं इसमें आपका वोट कौन सा है? न कमीशन को पता है न आपको। मान लीजिए इसमें डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस का पता लगाने के लिए ही तो कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट के बीच वीवीपैट लगाया गया है। लेकिन इसमें से आप किसको वोट मानेंगे? वीवीपैट को मानेंगे या फिर आपने जो देखा था या फिर कंट्रोल यूनिट को मानेंगे जो आपने देखा ही नहीं। यदि हम पर्ची को वोट मानते हैं तो हर पर्ची की गिनती होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट की जगह पर जो कंट्रोल यूनिट में सेव है उसको काउंट करेंगे। जो कंट्रोल यूनिट में सेव है वह वोट है ही नहीं।"

कन्नन गोपीनाथन
ईवीएम के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले पूर्व आई ए एस अधिकारी

"ईवीएम कांग्रेस की सरकार ने संसद में क़ानून बनाकर 1989 में लागू किया। ये अब संसद के क़ानून से ही जाएगा। ये किसी भी सरकार से ऊपर, संसद का मैटर है। राजीव गांधी सरकार ने व्यवस्था ही उतनी टाइट बना दी। सारी दुनिया काग़ज़ पर वोट डालकर चुनाव करती है। जाने उस समय की सरकार को क्या खुजली मची थी। आडवाणी 2009 चुनाव के बाद आँखों में आँसू भरकर रोते रहे कि ईवीएम बंद करो। काग़ज़ से मतदान कराओ। तब मनमोहन सरकार अपने नशे में थी। बहनजी ने भी माँग की ईवीएम हटाने की। पर मनमोहन सरकार ने उनकी भी अनदेखी की। सरकार में आने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता है जी। ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। जिस कांग्रेस ने इसे बोतल से निकाला, वही छटपटा रही है। पर जिन्न है। इतनी आसानी से नहीं जाएगा। निकालने से पहले सोचना था न।"

दिलीप मंडल
सामाजिक चिंतक

भाजपा

भारतीय जनता पार्टी आज कल भले ही ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है, लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2009 में जब भाजपा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। 2010 में तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक - 'डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन?' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए।" इस पुस्तक में 2010 के ही उस मामले का जिक्र विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर जे एलेक्स हाल्डरमैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजकर वे ईवीएम मशीन के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं।

इस पुस्तक की प्रस्तावना भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं।वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वकील प्राण नाथ लेखी (बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता) ने 2004 में ही उठाया था।

सपा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीक के माध्यम से घपलों-घोटालों की खबर आम बात हो गई है तो फिर ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकती है।

हिट एंड रन - बैकफुट पर सरकार

ट्रक ड्राईवरों की हड़ताल

> **क्यो होता है ऐसा?**
>
>
> **डॉ. लाल रत्नाकर**
> सामाजिक एवं राजनैतिक चिंतक
>
> सरकार ने जब जब कोई राष्ट्रव्यापी कानून बनाया है तब तब उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। चाहे वह किसानों का मुद्दा रहा हो अथवा जवानों का। नागरिकत के मुद्दे पर भी सरकार को पीछे ही हटना पड़ा। दरअसल बार बार ऐसे असंवैधानिक कानून बना कर टेस्ट करती है कि उसका कहाँ तक विरोध हो सकता है?

▪ **बसावन इंडिया डेस्क**

'हिट-एंड-रन' (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने जनवरी महीने के शुरुआत में ही तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की थी।

देश भर में पिछले दो दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही भयानक रूप से प्रभावित रही। इसी को देखते हुए सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की। जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की, हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी।

भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, "जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस साल तक के कारावास की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा । "

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल के दूसरे दिन पेट्रोल पंपों में फ्यूल खत्म होने तक की नौबत आ गई, जिसके चलते आम लोग गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइन लगाते नजर आए ।

पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में ट्रक चालकों के प्रदर्शन की वजह से लगभग 4,000 पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया, 'जैसे ही खबर फैली कि ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए हैं, लोग पेट्रोल पंप की ओर दौड़ पड़े। व्यापक विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई।

बाकी किन किन मामलों में एनडीए सरकार कानून वापस लेना पड़ा

किसान कानून

सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा पारित किए गए तीन कृषि अधिनियमों का विरोध था। अधिनियम, जिसे अक्सर फार्म बिल कहा जाता है, को "किसान विरोधी कानून" माना गया। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध

शंभू बॉर्डर पर किसान

एनआरसी का विरोध

में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन किया। पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैली। हजारों किसानों ने 'दिल्ली चलो' अभियान के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की और दिल्ली कूच किया था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने 378 दिनों तक दिल्ली को घेरे रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कानून के वापस लिए जाने की घोषणा के बाद किसानों का यह आंदोलन खत्म हो गया। किसान आंदोलन के अहिंसक होते हुए भी 700 से अधिक किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2024 में एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों की आठ मुख्य मांगें हैं, जिनमें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून, कर्जमाफी, बिजली का निजीकरण रोकना और 60 साल से अधिक की उम्र के किसानो को पेंशन देना शामिल है।

CAA (नागरिकता संशोधन कानून, 2019)-

नगरिकता कानून को लेकर हुए कड़े विरोध के मुद्दे पर सरकार इसे लागू करने को लेकर पीछे हट गई| नागरिकता कानून को भेदभाव पूर्ण माना गया। जिसको लेकर पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हुआ| CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा।जबकि भारतीय संविधान का प्रथम अन्नुछेद जो भारतीय नागरिकता से सम्बंधित है स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा भले ही उसके माता पिता विदेशी हो|

हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर द्वारा नए नागरिकता कानून को लागू किये जाने की टिप्पड़ी के बाद पूरे देश में CAA को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है।

एससी-एसटी अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में संशोधन-

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए बनाये गए एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तन को जारी एक आदेश के खिलाफ 02 अप्रैल 2018 को देश सभी दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उनकी मांग थी कि अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर

2 अप्रैल 2018 को भारत बंद

एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए| मजबूर होकर फैसले को वापस लिया गया। वह दलित-आदिवासी आंदोलन के इतिहास में यादगार रहेगा| यदि यह आंदोलन नहीं होता तो दलित-आदिवासी समुदायों को थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करनेवाला एट्रोसिटीज़ का कानून भी शायद खत्म हो चुका होता या खत्म होने की कगार पर होता| उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश वगैरह राज्यों में इस दिन भारत बंद के दौरान अनगिनत दलित-आदिवासी कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्ज़ी मुकदमें दर्ज हुए| भारत बंद के दौरान देश में हुई हिंसक घटनाओं ने 12 लोग मारे गए| मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक प्रदर्शनकारी की गोली मार कर हत्या कर डी गई, उसके हत्यारों की गिरफ़्तारी आज तक नहीं हो सकी|

यूजीसी की 'डीरिज़र्वेशन' योजना –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई मसौदा गाइडलाइंस को उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण अर्थात डीरिजर्वेशन को लेकर लोगों की राय जानने के नाम पर एक मसविदा प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर 28 जनवरी2024 तक अपनी राय भेजनी थी। यह प्रस्ताव किया गया है कि एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त पद को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है अगर

Rahul Gandhi
@RahulGandhi

UGC के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है।

आज 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं, और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के Professor हैं।

आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी BJP-RSS अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है।

यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी ख़त्म करने का प्रयास है।

इन वर्गों से पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं।इस प्रस्ताव का निचोड़ यही था कि अगर किसी आरक्षित पद के लिए 'सूटेबल' उम्मीदवार न मिले तो इस पद को आरक्षण से हटा दिया जाए और वहां आम भर्ती हो सके|

सोशल मीडिया में हुए व्यापक विरोध के बाद यूजीसी ने डीरिज़र्वेशन' इस मसौदा को वापस ले लिया है। यूजीसी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले में सफाई दी गई कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस मामले में दी गई सफाई में बताया कि 2019 में बने एक एक्ट का जिक्र किया कि डीरिज़र्वेशन' की अनुमति ही नहीं हैं। जाने माने चिंतक दिलीप मंडल लिखते हैं कि यही लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है। जनता जब भी एकजुट होकर सरकार का नाक दबाती है,और माँग सही हुई, तो सरकार मुँह खोल देती है। नाक और मुँह के बंद होने और खुलने का रिश्ता बेहद सुंदर है। इसमें किसी की जीत या हार नहीं है। सरकार को जनता की न्यायपूर्ण माँगें सुननी ही चाहिए। यही तो लोकतंत्र है।

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने अपने X हैंडल पर लिखा कि UGC के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त हैं, और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं।

आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी बीजेपी आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है। यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी ख़त्म करने का प्रयास है। ▪

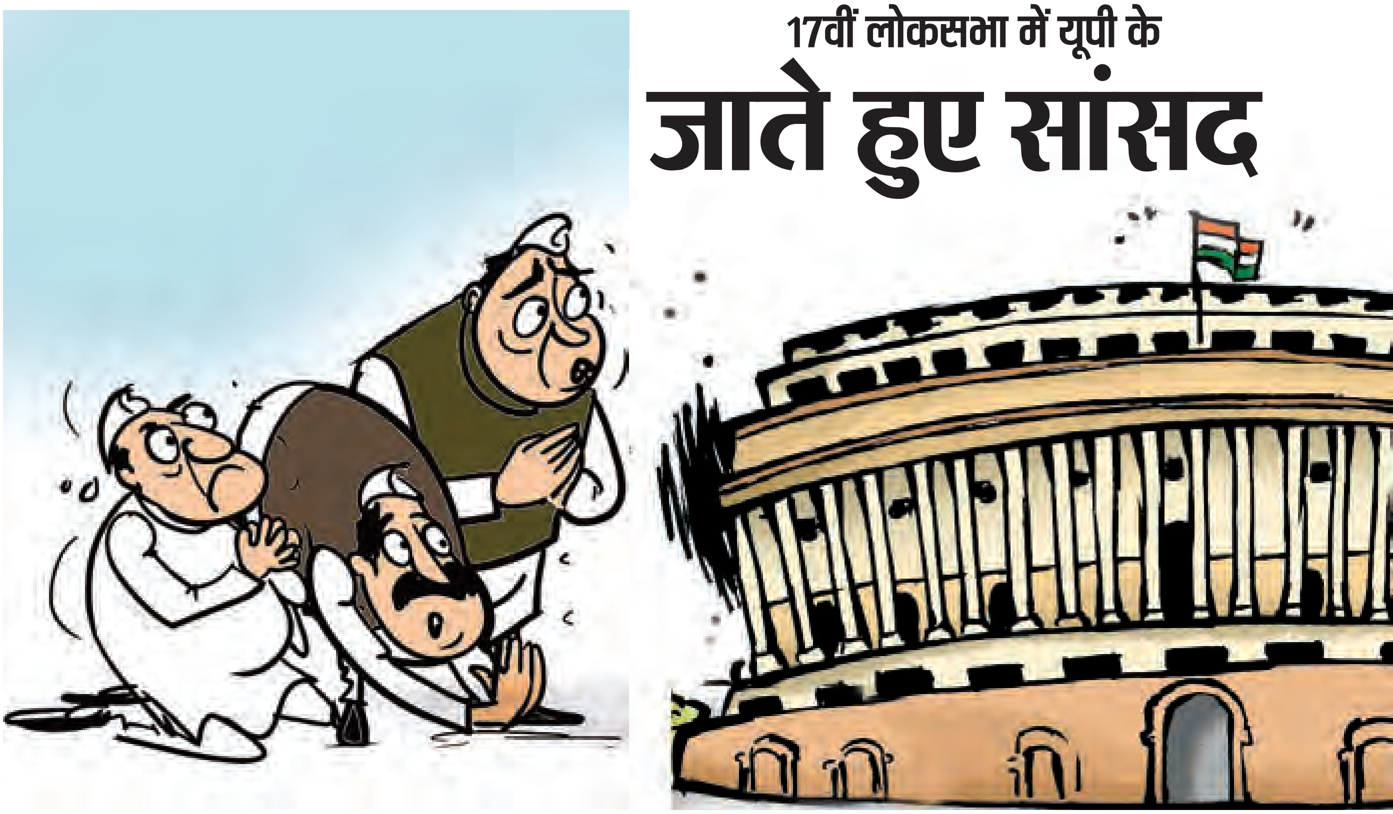

17वीं लोकसभा में यूपी के
जाते हुए सांसद

▪ नरेन्द्र प्रताप

अब जब कि लोकसभा का चुनाव सामने है, अगले जनप्रतिनिधियों के चयन की तैयारी की जा रही है ऐसे में मंडल आडिट में इस बार जानने की कोशिश करते है भारत के सबसे अधिक सीटों वाले राज्य और सत्ता के द्वार उत्तर प्रदेश के सांसदों की मंडल आडिट।

उत्तर प्रदेश में लोक सभा की 80 सीटें हैं इसीलिए उत्तर प्रदेश में बिना बेहतरीन प्रदर्शन के केंद्र में सरकार बनाना बहुत कठिन है इसीलिए उत्तर प्रदेश को सत्ता का द्वार भी कहते हैं। ऐसे में पुरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनावों पर लगी रहती हैं, भाजपा कांग्रेस बसपा अथवा सपा चाहे जो भी राजनीतिक दल हो उत्तर प्रदेश सभी दलों के धुरी के रूप में काम करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रधान मंत्री पद के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ा, इसके आलावा देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2019 का आम चुनाव हो या उसके बाद किन्ही कारणों से रिक्त हुई सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा पहुचे संसद अब सदन से विदाई लेंगे, इनमे से कुछ वापस आएंगे और कुछ नए चहरे होंगे|

समीकरण

17 वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 2019 में हुआ। वर्ष 2019 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 80 में से 62 सीटों पर कामयाबी हासिल की| दस सीटों पर बसपा, पांच सीटों पर सपा दो सीटें अपना दल और एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली|

पार्टी	सांसद
भाजपा	62
बसपा	10
सपा	05
कांग्रेस	01
अपना दल	02
कुल	80

बाद में आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की जिसमे उसके सांसदों की संख्या 64 हो गई| गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को अयोग्य घोषित कर दिए जाने से गाजीपुर की सीट वर्तमान में रिक्त है। उत्तर पदेश की कुल 80 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमे 14 सीटों पर भाजपा,02 पर बसपा और 01 सीट पर अपना दल को कामयाबी मिली| शेष बची 63 सीटें सामान्य हैं जिनमे से 50 पर भाजपा और एक सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल का कब्जा है, 07 पर बसपा, 03 पर सपा और एक सीट पर कांग्रेस का कब्ज़ा है। बसपा विजित गाजीपुर सीट वर्तमान में रिक्त है। इन 63 सीटों पर जातिगत समीकरणों के आधार पर बिसात बिछाई जाती है कि अधिक से अधिक सीटों पर सफलता प्राप्त की जा सके|

उत्तर प्रदेश के सांसद-

उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व है। शेष बची 63 सीटें जिनमें से 26 पर चार सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व है, 25 सीटों पर प्रदेश के सात ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व है। मुसलमानों का प्रतिधित्व 05 सीटों पर है शेष 07 सीटों पर ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व है जिनकी जाति तय कर पाना मुश्किल है, जिनमे से एक नाम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का भी जो जन्मजात सवर्ण थे लेकिन बाद में ओबीसी में शामिल हो गए। ऐसे ही कुछ और कुछ और नाम हैं जो जन्मजात सवर्ण हैं लेकिन

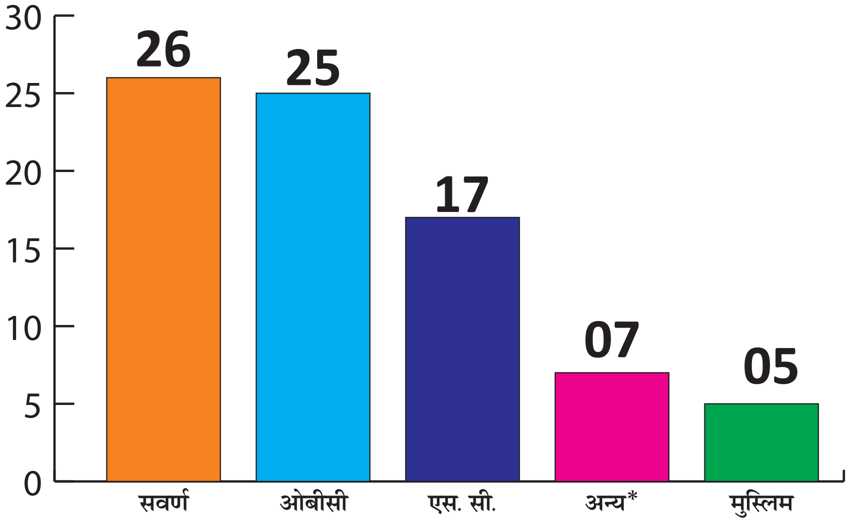

*जिनकी जाति तय कर पाना मुश्किल है

वैवाहिक संबंधों के चलते जिनकी जाति को तय कर पाना कठिन है।

जिनकी जाति तय कर पाना मुश्किल है

नाम	जन्मना जाति
नरेन्द्र मोदी	मोढ़घांची (सवर्ण)
स्मृति जुबिन ईरानी	कायस्थ
हेमा मालिनी	ब्राम्हण
डिम्पल यादव	क्षत्रिय
सोनिया गांधी	क्रिश्चियन
मेनका गांधी	सिक्ख
वरुण गांधी	-----

प्रदेश की सभी सीटों का विश्लेषण करें तो हम यह पते हैं कि प्रदेश की 17 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है जो कि लगभग उनकी आबादी के अनुपात में हैं। आरक्षित सीटों में एक जाति के रूप में सबसे अधिक प्रतिनिधि पासी जाति के हैं।

अनारक्षित सीटों की बात की जाए तो 26 सीटों पर सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व है। जिसे एक जाति के रूप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली जाति ब्राहमण है जिनकी संख्या 12 है। यानि 80 सीटों में से अकेले ब्रहम जाति की संख्या 12 है जो एक जाति के रूप में सबसे अधिक है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्षत्रियों की है क्षत्रियों की संख्या 10 है, शेष 02 बनिया और एक भूमिहार हैं।

प्रदेश की जनसँख्या का लगभग 60% आबादी का पिछड़ों की है, जिनका प्रतिनिधित्व 25 सीटों पर है। 25 सीटों पर ओबीसी की 07 जातियों का प्रतिनिधित्व है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संख्या कुर्मियों की है, 08 सांसद कुर्मी जाति के हैं। 04-04 सांसद लोधी और मल्लाह जातियों से हैं। 03 संसद जाट हैं। शेष 02 अहीर, 02 कोइरी और 02 गूर्जर हैं।

देश में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का

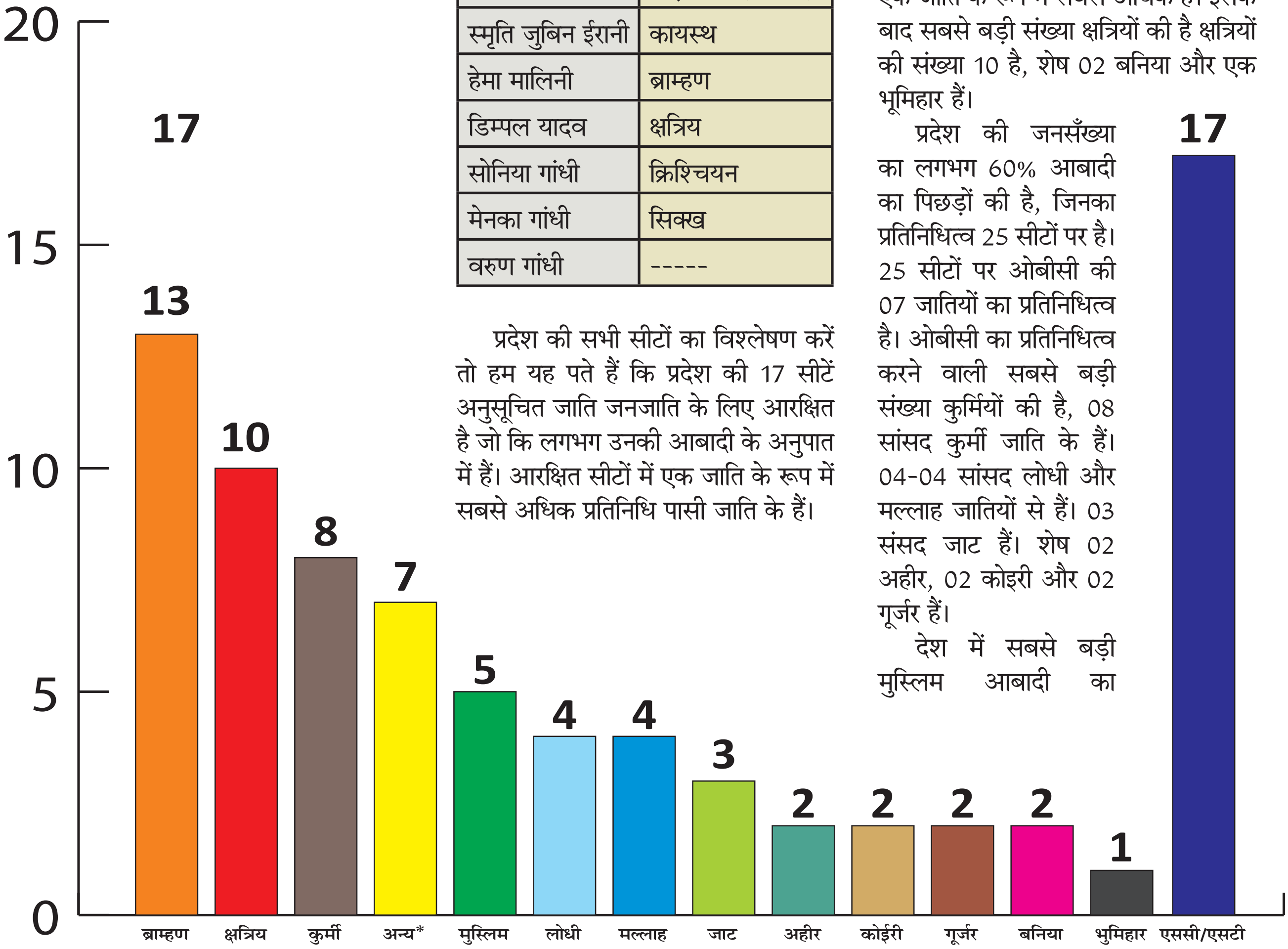

*जिनकी जाति तय कर पाना मुश्किल है

17वीं लोकसभा में यूपी के सांसदों की मंडल ऑडिट

उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों में सबसे बड़ी संख्या सवर्णो की है, 26 सवर्ण सांसद है यदि जन्मना सवर्णो (वे सभी सांसद जो सवर्ण परिवारों से जुड़े हुए हैं उन्हें सवर्णो में गिना जा रहा है) को शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 33 पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश से संसद पहुचने वालों में 42% सवर्ण सांसद हैं, यानि सवर्ण आबादी से चार गुणा अधिक सांसद सवर्ण हैं, जबकि सवर्ण सांसदों की संख्या 08 के आसपास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से संसद भवन पहुंचनें ओबीसी की कुल संख्या 25 है, जो उत्तर प्रदेश से जाने वाले सांसदों का 31% है यानि उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम, आबादी के हिसाब से ओबीसी सांसदों की संख्या 40 के आसपास होनी चाहिए। अब बात आती है मुस्लिम सांसदों की जिनकी संख्या 05 है जबकि उनकी आबादी के हिसाब से उनकी संख्या 15 के आसपास होनी चाहिए। ओबीसी और मुस्लिम सांसदों की संख्या 55 के आसपास होनी चाहिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 17 सांसद है जो लगभग उनकी आबादी के अनुपात में हैं।

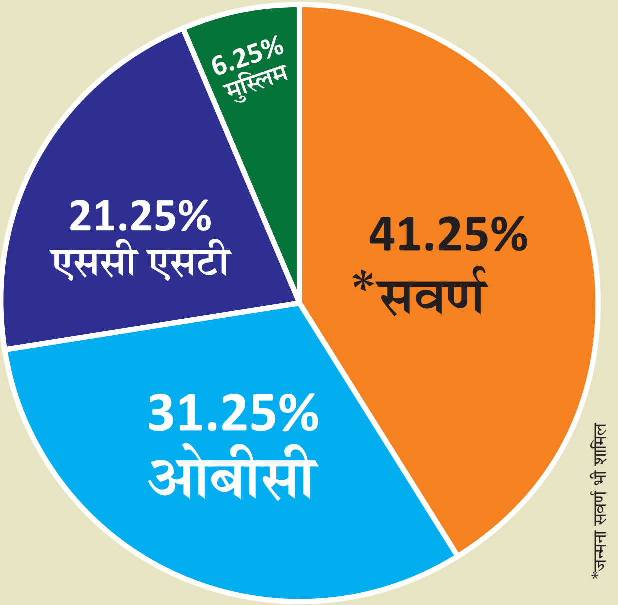

17वीं लोकसभा में यूपी से प्रतिनिधित्व है

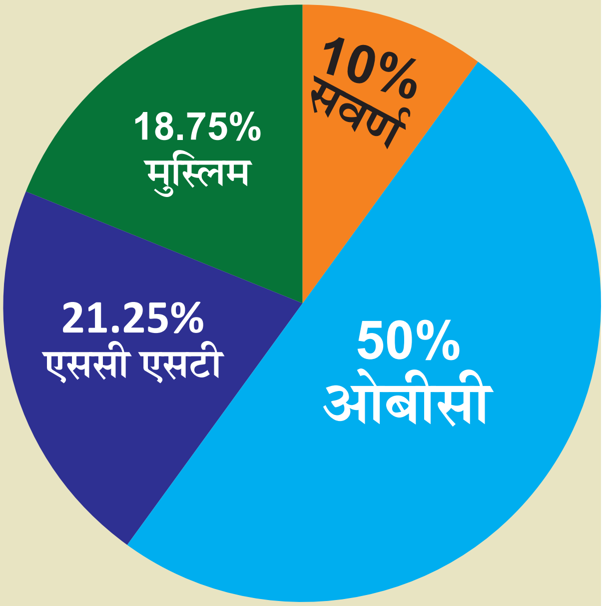

17वीं लोकसभा में यूपी से प्रतिनिधित्व होना चाहिए

प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश से मात्र 05 सांसद मुस्लिम हैं, 17वीं लोकसभा के गठन के समय इनकी संख्या 06 थी लेकिन रामपुर से आज़म खान की सदस्यता समाप्त होने के पश्चात् इनकी संख्या घटकर पांच हो गई।

- **17 वीं लोकसभा की ऐसी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से अधिक है**

जाति	संख्या
ब्राहमण	12
क्षत्रिय	10
कुर्मी	08
पासी	06

17वीं लोकसभा उत्तर प्रदेश से कई ऐसी जातियां है जिनके प्रतिनिधियों की भागीदारी शून्य है जिनमें भर, लोहार, कोहाँर, कहार, कलवार, बरई, धोबी, धरिकार जैसी कई जातियां प्रमुखता से शामिल हैं। ऐसी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व आबादी से बहुत कम है, जिनमे मुस्लिम, अहीर, कोइरी जैसी प्रमुख जातियां शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भाजपा चुनावों के दौरान ओबीसी प्रधानमंत्री को प्रचारित करती है, वो भी जिसे बाद में ओबीसी बनाया गया। पिछली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 27% ओबीसी प्रतिनिधित्व को जोरशोर के साथ प्रचारित किया। सामाजिक न्याय की वकालत करने वाली कांग्रेस, पीडीए को प्रचारित करने वाली सपा और सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली बसपा टिकट वितरण में सामाजिक न्याय में ध्यान रख पाती है, साथ ही साथ यह भी देखना है कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाता मतदान करते समय सामाजिक न्याय का ध्यान रख पाएंगे अथवा नही? ▪

जातीय जनगणना रिपोर्ट
ग्राम पंचायत सेल्हूमऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, उ. प्र.

बसावन इंडिया अपने प्रवेशांक से ही देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बसावन इंडिया के जाति आधारित जनगणना की मुहीम रंग लायी, आज देश में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। बिहार में जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े सार्वजानिक कर दिया है। जनगणना तो वैसे केंद्र का विषय है लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के साथ साथ राज्य भी जनगणना करवा सकते हैं। कर्नाटक में भी जाति जनगणना का कार्य प्रगति पर है और छत्तीसगढ़ की जाति जनगणना की क्वांटिफाईबल डाटा रिपोर्ट हाल ही में लीक भी हुई, जिसके आधार पर भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण का प्रवधान किया था जो राजभवन में लंबित है।

इसी कड़ी में बसावन इंडिया अपने इस अंक के लिए सेल्हूमऊ लखनऊ जिले के एक गांव की जनगणना का प्रकाशन कर रहा है। बसावन इंडिया ने अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार सहित के देश के ग्यारह जिलों के ग्यारह ग्रामसभाओं की जनगणना का प्रकाशन कर चुका है। इस बार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट हमे सेल्हूमऊ,लखनऊ, उ.प्र से दारा सिंह यादव ने भेजी है, जनगणना रिपोर्ट को तैयार करने में इनका सहयोग बाबू पाल और राममिलन रावत ने किया।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए| बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत सेल्हूमऊ में 12 जातियां के मतदाताओं की संख्या 490 है। सवर्ण जातियों, क्षत्रिय और ब्राहमण हैं। ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या 39 है। जिसमे कि क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 26 और ब्राह्मण मतदाताओं संख्या 13 है। सेल्हूमऊ में चार पिछड़ी जातियों अहीर,गड़ेरिया, नाई और बढ़ाई के मतदाताओं संख्या 225 है। ओबीसी मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या अहीरों की है,जिनकी कुल संख्या 143 है। इसके बाद गड़ेरिया मतदाताओं की संख्या 46 है, अन्य पिछड़ी जातियों में नाई 25 और बढ़ई 11 हैं। अनुसूचित जातियों में रावत(पासी), कोरी,धोबी, बेड़िया और डोम हैं, अनुसूचित जातियों ए मतदाताओं की कुल संख्या 215 है। अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक संख्या पासी जाति की है, जिनकी संख्या 79 है उनके पश्चात् कोरी 64, धोबी 56,डोम 09 और बेड़िया 07 हैं। मुस्लिम समाज के 11 मतदाता है। ▪

दारा सिंह यादव
सामाजिक कार्यकर्ता
मो.न.- 9454353905

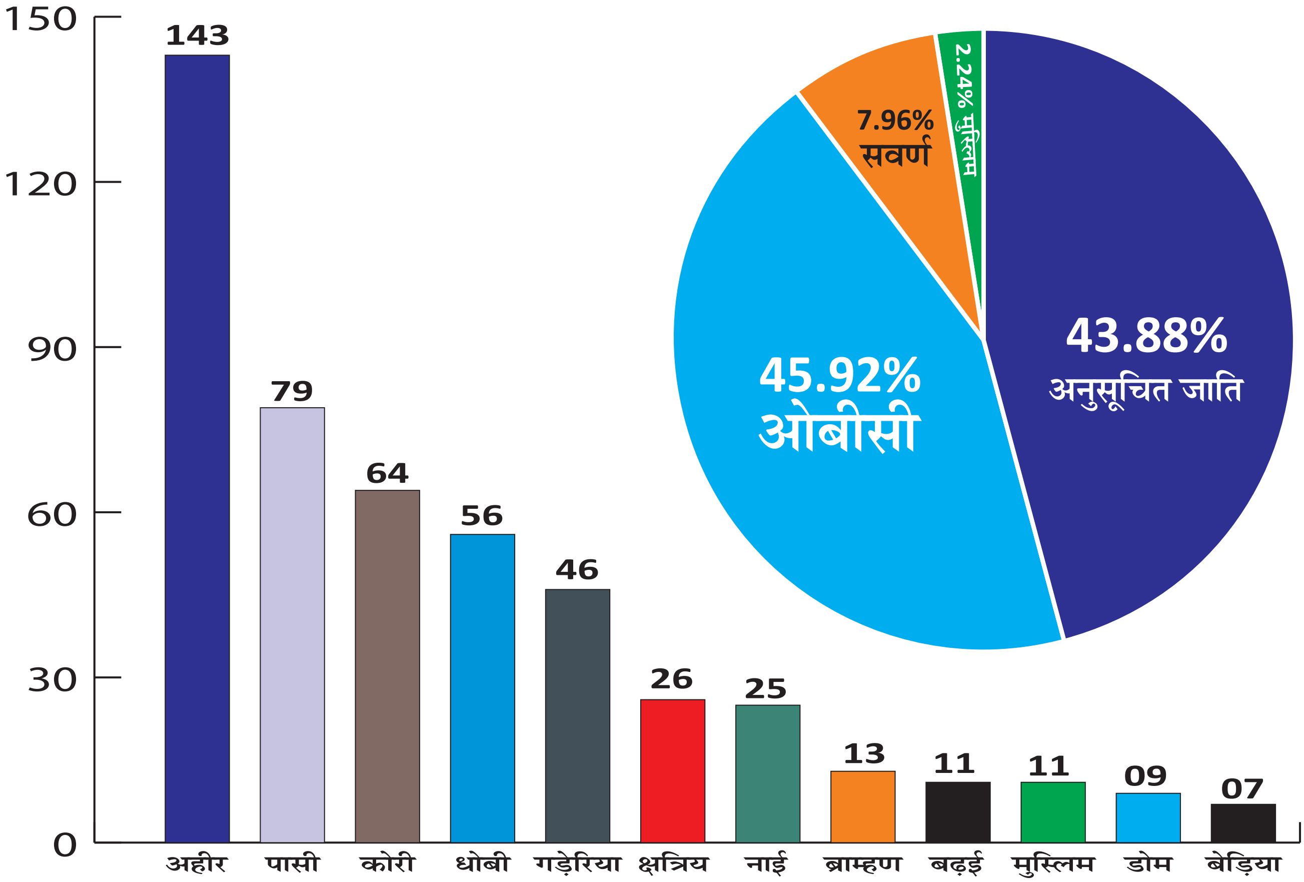

ग्राम पंचायत सेल्हूमऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ, उ. प्र.

छत्तीसगढ़ का क्वांटिफायबल डेटा लीक : कौन जाति कितनी?

छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना के अंतर्गत जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया था |

1. सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को निर्माण करने के लिए आवश्यक आंकड़ों का प्राप्त करना।
2. आरक्षण की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए ।
3. सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं का निर्माण करने के लिए।

▪ **जितेन्द्र सोनकर**

आजादी से पहले, भारत में जाति आधारित समाज की विभाजन की परंपरा थी और विभिन्न समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था। आजादी के बाद, समाज में समानता और न्याय के लिए अनेक सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें ओबीसी समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। जनगणना एक ऐसा माध्यम बना जिसके माध्यम से उनकी संख्या और सामाजिक स्थिति को विश्लेषित किया गया और योजनाएं बनाई गई ।

भारत में जाति जनगणना का मुद्दा इस साल के चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया हैं जाति जनगणना पर पक्ष और विपक्ष का तर्क देखा जाए तो, पक्षकारो का कहना है कि जाति जनगणना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। इसे जारी रखना एक समाज में उसके विभिन्न वर्गों और समुदायों की समस्याओं को समझने और समाधान करने में मदद करता है। वे इसे समाज में असमानता को समाप्त करने का एक माध्यम मानते हैं और समाज के अंतर्निहित विवेचनों को सामने लाने में मद्द करते हैं। वही विपक्ष का कहना है कि जाति जनगणना एक विभाजक तत्व है और इससे समाज में और भी अधिक असमानता पैदा होती है। वे इसे समाज को गहरे जातिवाद की ओर ले जाने का माध्यम मानते हैं और समाज को विभाजित करने वाला मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जाति जनगणना से समाज की एकता और एकत्रितता पर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना के लिए पटेल आयोग बनाया गया था, इसमें राज्य के सभी जिलों और ब्लॉकों में लोगों की जाति, लिंग, आयु, और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रमाणिकताओं का विश्लेषण किया गया । इस जनगणना का उद्देश्य राज्य की सामाजिक संरचना और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना था ताकि पिछड़े समुदाय के विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस आयोग ने सर्वेक्षण में पाया है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानि -ओबीसी की प्रदेश में आबादी 41 प्रतिशत है।

इसमें सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की संख्या प्रदेश के आबादी के 3 प्रतिशत तक पाई गई है। ऐसे में जनगणना के दौरान में ओबीसी अलग से वर्गीकरण नहीं होने से यह संख्या अभी तक अनुमानों पर ही आधारित हैं। माना जाता है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी अब बढ़कर 52 % से 54 % तक हो गई है।हालांकि सरकार ने अभी तक इस आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि, छत्तीसगढ़ की आबादी में दो करोड़ 94 लाख अनुमानित है। वहीं पिछले दो साल में अब तक वेबसाइट और ऐप के माध्यम से हुए सर्वेक्षण के बाद क्वांटिफायबल डाटा

> क्वांटिफायबल डेटा का मतलब होता है कि जिसे संख्यात्मक रूप से मापा और गिना जा सके। इसका उपयोग सामाजिक, आर्थिक, या किसी भी प्रकार के अध्ययन में जानकारी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर नीति निर्माण और निर्धारण में होता है।

आयोग ने एक करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों का आंकड़ा जुटाया है।

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट और प्रतिवेदन को 21 नवंबर 2022 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। लेकिन सरकार ने आकडे जारी नहीं किये।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी जातियों के सर्वे आकड़े सरकार के जारी करने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं। इन आकड़ों से पता चला है कि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी साहू (तेली) समाज की है। डाटा के मुताबिक साहू समाज की संख्या 30 लाख 5 हजार 661 बताई जा रही है।

वायरल हो रहे डेटा में 1 करोड़ 25 लाख 7 हजार 169 हेडकाउंट में सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी है। बताया गया है कि 95 जातियों के सदस्य ओबीएस और आर्थिक रूप से कमजोर से संबंध रखते हैं।

दूसरी बड़ी जाति यादवों की

वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी जाति यादव है, इनकी संख्या 22 लाख 67 हजार 500 बताई जा रही है। तीसरे स्थान पर ढीमर (निषाद) जाति है इनकी जनसंख्या 11 लाख 91 हजार 818 है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कुशवाहा जाति है इनकी संख्या 8 लाख 98 हजार 628 है। वहीं कुर्मी जाति प्रदेश में छठवें स्थान पर हैं, इनकी संख्या 8 लाख 37 हजार 225 बताई जा रही है।

सर्वे पर खर्च हुए 1 करोड़ 7 लाख आयोग ने सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में 1 करोड़ 7 लाख 6 हजार 856 की राशि खर्च की थी। ऐप के जरिए सर्वे का कार्य किया गया था। कांग्रेस सरकार ने ये आकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे।

पिछड़े समुदाय के आकडे इकट्ठे करने के लिए आयोग का गठन सिर्फ 6 महीने के लिए किया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 10 बार बढ़ाया गया । आयोग ने अपनी रिपोर्ट 21 नवंबर 2022 को सरकार(भूपेश बघेल सरकार) को सौंपी थी।

स ा हू

> क्वांटिफाइबल डाटा के रिपोर्ट के अनुसार हमने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था वहीं एससी को 13%, एसटी को 32% और ईडब्लयूएस को 4% आरक्षण का प्रावधान किया था। जो अभी तक भी लंबित है।

जाति पहले नंबर के साथ, 30,05,661(संख्या में), ओबीसी आबादी की 24 फीसदी यादव जाति दूसरे नंबर के साथ, 22,67,500 (संख्या में), ओबीसी आबादी की 18.12 फीसदी ढीमर (निषाद) जाति तीसरे नंबर के साथ, 11,91,818 (संख्या में), ओबीसी आबादी की 9.52 फीसदी मरार (कुशवाहा) जाति चौथे नंबर के साथ, 8,37,225 (संख्या में), ओबीसी आबादी की 7.18 फीसदी कुर्मी जाति पांचवे नंबर के साथ, 8,37,225 (संख्या में), ओबीसी आबादी की 6.69 फीसदी मामले में कांग्रेस का कहना है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन हमने ओबीसी समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए किया था।

बहरहाल, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक होने से ओबीसी आबादी की गणना की जानकारी बाहर आ गई है। इसमें अलग-अलग जातियों की जनसंख्या में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि ओबीसी में कुर्मी, चन्द्रनाडू, बघेल समाज से जुड़ी जातियों की आबादी दूसरे तीसरे नंबर पर है। लेकिन आबादी अनुपात में कुर्मी ओबीसी वर्ग में 8 लाख 37 हजार आबादी के साथ पांचवें नंबर पर है। ▪

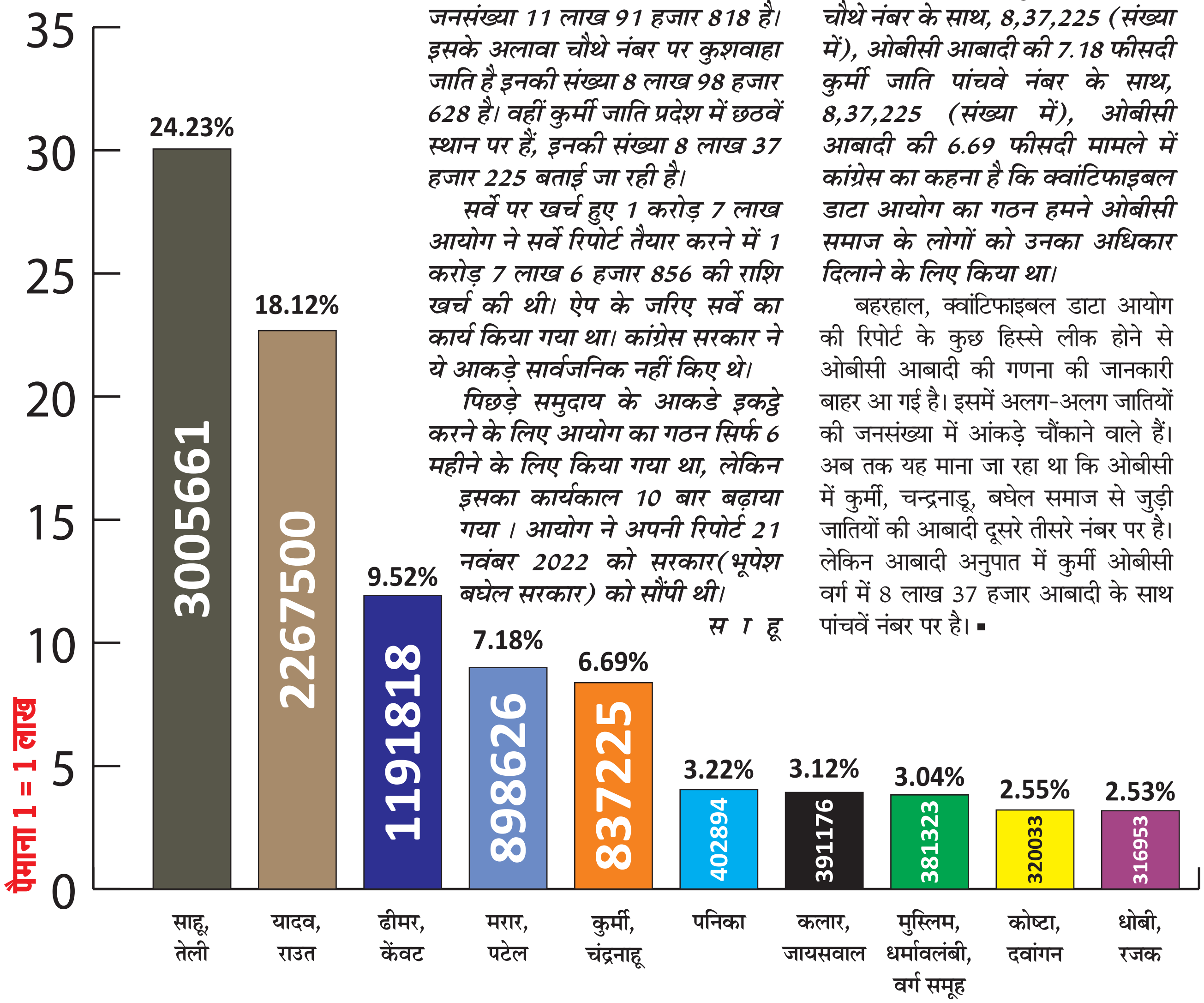

स्मृति शेष

नंद कुमार बघेल : छत्तीसगढ़ के पेरियार

▪ बसावन इंडिया डेस्क

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता, छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले नंद कुमार बघेल का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोग बाबूजी कहकर पुकारते थे। वे इंडिया में समतामूलक सामाजिक आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। उनकी किताब **'रावण को मत मारो'** को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद तत्कालीन अजीत जोगी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। महामानव जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज और थंदेई पेरियार को आधुनिक भारत में अपना आदर्श मानते थे। बुद्ध, कबीर, रैदास, घासीदास के उसूलों को प्रबुद्ध भारत के निर्माण का आधारस्तंभ मानते थे।

मनखे मनखे एक समान में विश्वास

अपनी पुस्तक रावण को मत मरो की प्रतावना में लिखा है कि मेरा विद्रोही मन इसे खोजने के लिये आतुर हुआ कि इस देश में जाति प्रथा आयी कैसे। इसी खोज में मुझे गुरू घासीदास के पास जाने के लिये मजबूर किया। घासीदास के दरबार में जाकर मैंने देखा कि **'मनखे मनखे एक समान'**। देवी-देवता को मत मानो वर्णवादी व्यवस्था को मत मानो। मेरे विद्रोही मन में खोजने की फिर जिज्ञासा बढी और मैंने सतनामी समाज में जाति व्यवस्था को खोजना आरंभ किया। सतनामी समाज में जाति व्यवस्था नहीं है। यह जानकर मुझे सुखद आश्चर्य फिर इसाई धर्म, कबीर बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोगों से भी सम्पर्क किया वहां भी मनखे मनखे एक समान मुझे मिला। तब मैंने खोजा कि इस संबंध में ब्राह्मणों की दंड संहिता मनु-स्मृति को पढ़ा। तब मुझे वह सब कुछ

स्मृति शेष बाबू जी नंद कुमार बघेल

मिला जिसकी मुझे खोज थी। मैं असली नकली आदिवासी की खोज में बहुत आगे निकल गया। मैं खोजते गया मुझे नये-नये आयाम मिलते गये और मैं खोजता गया।

बहुजन एकता के समर्थक

मुझे मनुशास्त्र को पढने के बाद इस संदर्भ में किताब लिखने की प्रेरणा हुई। उस पुस्तक का नाम मैंने रखा **"कुर्मी ब्राह्मण की नजरों में क्या? क्षत्रिय वैश्य या शूद्र मनु-स्मृति के अनुसार?"** उसका उत्तर मुझे मिला ब्राह्मण कुर्मी को शूद्र मानता है परंतु छत्तीसगढ़ की दलित जातियों को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने के लिये कुर्मी को ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में इस्तेमाल कर उसे द्विजातिय में शामिल करने का प्रयास करता है। परंतु ब्राह्मण के वास्तविक मन में कुर्मी शूद्र वर्ण में सम्मिलित है तब मुझे शूद्रों के प्रति विशेष प्रेम होने लगा और मुझे गर्व होने लगा कि मैं 85 प्रतिशत शूद्र समाज का एक छोटा सा शेल हूं। जब जनगणना हुई तो मुझे हिंदू लिखा जा रहा था परंतु मैंने इसका विरोध किया कि मैं अपने आपको हिंदू कभी नहीं मान सकता क्योंकि हिंदू धर्म वर्ण वादी व्यवस्था है उच्च जाति जो भारत में 5000 वर्ष पूर्व पशु पालन करते, चरी करते आये। इस देश के लोग खेती करते थे उनको वे चरा दिया करते थे। इस देश के वासी बैल से खेती करते थे और उसकी पूजा करते थे, गाय से दूध और बैल से खेती होने से गाय बैल की पूजा यहां की संस्कृति शिव जी के सम्मुख नंदी की मूर्ति पोला त्यौहार केवल बैल की पूजा का त्यौहार शूद्रों का है राजा बलि का है, रावण बैल पूजक थे । परंतु आर्य खेती नहीं करते थे। वे गाय से दूध और बैल और भैंसा को यज्ञ करके उसमें बैल का वध करके खा जाते थे। वे गाय की पूजा करते थे। मुझे गर्व हुआ कि मेरे पुरखे इस देश के मूल निवासी थे। हम आयातित लोग नहीं है। इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। आर्यों ने अपनी नस्ल और जाति की शुद्धता के लिहाज से दो जाति व्यवस्था का प्रचार किया, जिसे मानने वालों को द्विज कहा गया । उन तमाम ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात अजीत जोगी मेरे सपनों का एक सही आदमी मिला। जिस सच्चे मानव की खोज मुझे वर्षों से थी, वह मुझे मिल गया। अजीत सच्चा भारतीय मूल का आदमी है। उसकी मां आदिवासी है उसका बाप सतनामी है।वह सच्चा राक्षस है। राक्षस जो इस देश के मूल निवासी की रक्षा किये, उसे राक्षस कहते हैं।

बगावती तेवर

नंद कुमार बघेल शुरु से ही बागी तेवर के थे। 70 के दशक में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन् 2000 में उन्होंने 'ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो' किताब लिखी, जो तुरंत ही विवादों के घेरे में आ गई थी। इसमें मनुस्मृति के अलावा वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित रामायण

के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं। साथ ही, इसमें दक्षिण के महान दार्शनिक पेरियार के विचारों का उल्लेख है। इस प्रकार यह किताब रामायण की विभिन्न तरीके से समीक्षा करती है और लोगों को बताती है कि राम नाम का चरित्र दलितों, आदिवासियों और मूलनिवासियों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए गढ़ा गया है। इस किताब को तत्कालीन अजित जोगी सरकार ने प्रतिबंधित किया था। तब बाबूजी नंदकुमार बघेल ने हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी। करीब 17 साल बाद वर्ष 2017 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और सरकार के फैसले को बरकरार रखा। नतीजतन उनकी किताब 'ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो' अभी तक प्रतिबंधित है।

वर्ष 2019 में बाबूजी ने दशहरे के दिन सार्वजनिक कार्यक्रम में रावण को महान पुरखा बताया। दलित-आदिवासी व अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में किए गए आंदोलन मे छत्तीसगढ़ के लगभग 500 गांवों में 2019 में दुर्गापूजा और दशहरा का आयोजन नहीं हुआ।

वर्ष 2020 में आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पिता नंद कुमार बघेल के बीच ठन गई थी। एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री पूरे राज्य में राम वनगमन परिपथ का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे, तब बाबूजी ने ही अपने बेटे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के अंतर्गत तुमाखुर्द गांव में उन्होंने 18 मई, 2020 को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए राम मंदिर के बोर्ड को गांववालों के साथ बैठक कर उनकी सहायता से हटाकर बौद्ध विहार का बोर्ड लगवा दिया। साथ ही बूढ़ादेव आर्युर्वेद चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया था। यह एक क्रांतिकारी कदम था।

एक घटनाक्रम मे उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुछ टीका टिप्पणी की तब 4 सितंबर, 2021 को 'सर्व ब्राह्मण समाज' ने रायपुर के डीडी नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि "नंद कुमार ने लोगों से ब्राह्मणों का 'बहिष्कार' और उन्हे बेदखल करने के लिए कहा था।" शिकायत पर 86 वर्षीय बाबूजी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत 7 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीन दिन जेल मे बिताने के बाद 10 सितंबर को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

बसावन इंडिया परिवार बाबूजी नंदकुमार बघेल का सादर नमन करता है।

बसावन इंडिया परिवार के साथ
बाबू जी नंदकुमार बघेल की स्मृतियाँ

बसावन इंडिया मैगजीन का विमोचन करते हुए बाबूजी

बसावन इंडिया मैगजीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए

बसावन इंडिया के संपादक को मार्गदर्शन करते हुए

डॉ. नरेश कुमार साहू (सह संपादक), कृष्णा पैकरा (ब्यूरो प्रमुख) एवं बाबूजी जी एक कार्यक्रम में चर्चा करते हुए

छत्तीसगढ़ को मिला आदिवासी मुख्यमंत्री
क्या होंगी चुनौतियाँ?

लोकतांत्रिक मूल्य और आबादी की बहुलता की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय में लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री देखने की सपना थी।आज जब प्रदेश का एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है। इनमें एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि आज हमारे पास अपना मुख्यमंत्री है।

प्रदेश के आदिवासियों का नव निर्वाचित मुख्यमंत्री से बड़ी आशाएं है। समुदाय कई समस्याओं से जूझ रही है। क्षेत्र को विरासत में राज्य गठन के साथ ही नक्सलवाद बड़ी चुनौती रहा है। उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में शांति बहाल हो गई, लेकिन बस्तर अब भी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ नक्सल और अत्यधिक पुलिस की तैनाती से अंदरूनी क्षेत्रों में मारपीट, डराना-धमकाना और महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ और बलात्कार जैसे घटनाओं में व्यापक वृद्धि हुई है।

सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार एक बड़ी समस्या है। बढ़ी संख्या में अभी भी कई गाँव ऐसे है जहाँ महतारी एक्स्प्रेस्स जैसे वाहन की सुविधा मिल नहीं पाती है, लोग पगडंडी में चलकर कोसों दूर तय करके स्थानीय हाट बाजार पहुँचते है। प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरा स्थिति है।

शिक्षा के मामले में समुदाय के युवाओं में बड़ी संख्या में ड्राप-आउट दर है गाँव के स्कूल में शिक्षा का माहौल नहीं है नतीजन छोटे-छोटे कारणों से आगे की पढ़ाई रुक जा रही है, ऐसे युवा बड़ी संख्या में शराब-वृति की ओर उन्मुख हो रहे है और गाँव में टिकाऊ रोजगार के साधनों का अभाव है।

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी दोहरी समस्या का सामना कर रहे है। इन क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आकर बसने वालों की बड़ी हुजूम है जो समुदाय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, यह जनजातियों के पारंपरिक आदिवासी बसाहट की ताना-बाना को बिगाड़ रही है और इन्हीं से मौके-मौके में समुदाय शोषण के शिकार होती है।

हसदेव कोल खनन और जंगल कटाई

आदिवासी किसी न किसी समस्या को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। एक समस्या का समाधान हुए बिना दूसरी चुनौती आ जाती है। पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ में हसदेव कोल खनन और जंगल कटाई को लेकर आंदोलन में है। हसदेव के वन अभ्यारण में कोयला की अच्छी–खासी उपलब्धता है विकास का यही माडल व दृष्टिकोण रहा तो हसदेव को उजाड़ देगा, क्योंकि अभी तो परसा ब्लाक का मामला है यहाँ तो कम से कम और 10 कोल ब्लाक है जो भविष्य में सर्वे और खनन होंगे।

हसदेव को अभी केवल आदिवासियों से जोड़कर देखा जा रहा है; किन्तु इससे पारिस्थितिकी-तंत्र, पर्यावरण, वन जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े, जड़ी-बूटी, मानसून, वर्षा जैसे बहुमूल्य चीजों का नुकसान होगा। खनिज संसाधन आने वाली नई पीढ़ी आने तक समाप्त हो जाएगें। विकास का यह माडल जो पश्चिमी देशों की देन है विकास के साथ बिना राशि भुगतान किए मुफ्त में तबाही देगा। इसी प्रकार की हरित क्रांति ने बेतहासा रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि को बंजर बना दिया था इसके लिए पंजाब, हरियाणा के कई किसानो को जान गँवाना पड़ा। यह जंगली हाथी का विचरण क्षेत्र है पूर्व से ही यहाँ हाथी को लेकर जान-माल का नुकसान का प्रकरण आता रहा है। अब हाथियों का दबाव राज्य के दूसरे क्षेत्रों में बढ़ेगा।

आज न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे देश की जनजाति समुदाय की जितनी भी समस्या है, इसका संबंध पाँचवी अनुसूची, पेसा अधिनियम-1996 और वन अधिकार कानून-2006 (एफ.आर.ए.) का बराबर क्रियान्वयन नहीं होने के कारण पैदा हो रही है। समुदाय को बार-बार आंदोलन करने विवश होना पड़ रहा है। राज्य गठन के बाद प्रारम्भिक तीन साल को छोड़ दिया जाए तो लगातार 04 शासन काल याने 20 साल में लगातार गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री रहे है और अब जाकर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश के आदिवासियों का भरोषा है कि अब उनकी विकास की सभी बिंदुओं पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाएगा और सभी अवरोधों का निराकरण करके विकास गति दिया जाएगा। ▪

प्रो. निस्तर कुजूर
विभागाध्यक्ष - सामाजशास्त्र एवं सामाजकार्य अध्ययन शाला, पीआरएसयू

सच्ची रामायण का पाठ करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता अचल सिद्धार्थ को जेल

अचल सिद्धार्थ

सोशल मीडिया पर सच्ची रामायण का पाठ करने वाले समाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ को पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 A धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सीआरपीसी 107/116 शांति भंग की आशंका तहत जेल भेजा दिया। अचल सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल jago panch पर पेरियार ई वी रामास्वामी की पुस्तक का हिंदी रूपांतरण सच्ची रामायण का पाठ कर रहे थे।

सच्ची रामायण वह पुस्तक है जिस पर की उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप बाद बाजार में उपलब्ध कराया जा सका। पेरियार ललई सिंह कि इस पुस्तक में को कोर्ट ने बंधन मुक्त किया और उत्तर प्रदेश सरकार को जुर्माना भी लगाया। जाहिर है कि इस पुस्तक का पठन पाठन न ही असंवैधानिक हैं और न ही अनैतिक लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने पुलिसिया दादागिरी के दम पर अचल सिद्धार्थ को इस पुस्तक के वाचन के लिए 3 दिन के लिए जेल भेजवा दिया। तीन दिनों के बाद उनकी जेल से रिहाई हो गई।

सामाजिक कार्यकर्ता अचल सिद्धार्थ ने इस कृत्य को अपनी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होने कहा कि हमारे समाज में आस्था और श्रद्धा के नाम पर लोगों को भावात्मक रूप से गुमराह कर उन्हें अंधविश्वास और पाखण्ड में ढकेला जा रहा है। यदि हम वेदों और पुराणों का अध्ययन करें तो उनमें अमानवीयता और आधी आबादी के प्रति क्रूरता की झलक देखने को मिलती है। यदि वेदों ओर पुराणों या पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ पढ़ा जाए और उससे किसी की भावना आहत हो तो वह पौराणिक ग्रन्थ या वेद प्रतिबंधित हो न कि पढ़ने वाला। हमारा देश बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर के संविधान से चलता है न कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर। ▪

उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान को देश रत्न सम्मान

उत्कृष्ट कार्य करने वाली वाराणसी जिले की ग्राम पंचायत बिहड़ा के ग्राम प्रधान कमलेश कुमार यादव को देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी के प्रथम सप्ताह में देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें देश रत्न अवार्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ थे। इस मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

अवार्ड मिलने पर बिहडा ग्रामवासियों में ख़ुशी की लहर है। समस्त क्षेत्र वासियों ने ग्राम प्रधान कमलेश यादव को बधाई दी। आवार्ड दिए जाने से उत्साहित ग्राम प्रधान कमलेश यादव ने कहा कि हम किसी सम्मान के लिए काम नहीं करते हैं जनता की सेवा करना हमारा धर्म है हमनें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा और ईमानदारी से ग्रामीणों की सेवा की। इससे अन्य ग्राम पंचायतें भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होने और जनता का और भी उत्कृष्ट सेवाएं मिल सकेंगी। ▪

देश रत्न सम्मान प्राप्त करते हुए ग्राम प्रधान कमलेश कुमार यादव

किसान आंदोलन - 2

शंभू बॉडर पर डटे किसान

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग को लागू किये जाने को लेकर 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया पिछले आन्दोलन के दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था, इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वादा किया गया था।

▪ मारुति मानव

बसावन इंडिया डेस्क के लिए शंभू बॉडर से

किसानों की मांगें -

13 फरवरी दिल्ली कूच की प्रमुख मांगें

- पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए और डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किये जाये।
- किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज़मुक्ति करी जाये।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में पुनः लागू किया जाए एवं भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति एवं कलेक्टर रेट से 4 गुणा मुआवज़ा देने के प्रावधान लागू किये जायें।
- लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को सज़ा एवं पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए।
- भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर आये एवं सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए।
- किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए।
- दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के 1 सदस्य को नौकरी दी जाए।
- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
- मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार, 700 रुपये का मजदूरी भत्ता दिया जाए एवं मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए।
- नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना लगाने के प्रावधान तय किये जायें एवं बीजों की गुणवत्ता में सुधार किये जायें।
- मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
- संविधान की 5 सूची को लागू किया जाए एवं जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित कर के कम्पनियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन की लूट बन्द करी जाए।

दो साल पहले तीन विवादित कानूनों, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) क़ानून -2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसानों ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया थे लेकिन शेष लंबित मांगों के लिए किसान एक बार फिर से आंदोलित हो गए हैं।

पिछले कई दिनों से दिल्ली कूच के लिए किसान हरियाणा के शम्भू बार्डर पर डटे हुए हुए हैं। कई दिनों से शम्भू बार्डर पर कैम्प किये सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता मारुती मानव ने हमें फोन पर बताया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं हमें पुलिस द्वारा डंडों और अन्य अवैध तरीको से प्रताणित किया जा रहा है। अकारण ही किसानों के ऊपर आशु गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ▪

पेंशन बहाली मुद्दा लगातार जीत रहा है

रन फार ओपीएस कार्यक्रम लखनऊ

पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत हैं। बसावन इंडिया ने अपने पिछले अंक में पुरानी पेंशन योजना पर विस्तार से स्टोरी का प्रकाशन किया, पिछले दिनों पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने लखनऊ में पेंशन मार्च किया, आगामी लोकसभा चुनावों में पेंशन को प्रमुखता से मुद्दा बनाये जाने को लेकर कर्मचारी उत्साहित हैं . उत्तर प्रदेश और देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर डॉ आशाराम यादव की विस्तृत रिपोर्ट

'पेंशन जो कि- सरकारी कर्मचारियों के सम्मानजनक बुढ़ापे की मजबूत लाठी थी, को सरकार द्वारा साजिश के तहत कमजोर किया गया एवं कलान्तर में एक समय बाद इस मजबूत लाठी को उससे छीनकर बाजार आधारित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के हवाले कर दिया, जहां न उसके रूपये सुरक्षित हैं और न ही उसका बुढ़ापा। इसी बुढ़ापे की लाठी को फिर से पाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक विजय कुमार 'बन्धु' ने अटेवा (ऑल टीचर्स एण्ड इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन) नामक संगठन बनाकर संघर्ष शुरू किया। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों के बाद लोग लगातार जुड़ते गये (क्योंकि यह मुद्दा कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ था यह बात अटेवा द्वारा उनका सफलतापूर्वक समझा दिया गया) और 2017 में यह संगठन देश व्यापी हो गया जिसको (एनएमओपीएस) नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम) नाम से जाना जाता है।

पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को अब तक कोई भी बड़ा राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं ले रहा था तब अटेवा ने बड़ा साहसिक निर्णय लिया, वो था उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2020 में शिक्षक व स्नातक चुनाव में भाग लेने का चुनाव में कुछ चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशी उतारे, सफलता तो नहीं मिली परन्तु एक मजबूत राजनैतिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनायी। आगे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव होना था अतः संगठन ने सभी दलों को पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया परन्तु निराशा ही हाथ लगी। 20 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा कि- हमारी सरकार बनने पर हम अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यह बड़ी उपलब्धि थी संघर्ष के पथ की।

चुनाव में 'वोट फार ओपीएस' अभियान चलाया गया जिसमें जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने वाली पार्टी व गठबंधन को 403 सीटों में से 312 सीटों पर पोस्टल बैलेट में ऐतिहासिक जीत मिली। यह उस चुनाव का सबसे चर्चित राजनैतिक मुद्दा रहा, राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़, झारखण्ड,पंजाब में पुरानी पेंशन मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की दो तिहाई बहुमत से सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन मुद्दे पर सरकार चली गई और ओपीएस समर्थक नई सरकार प्रचण्ड बहुमत से बनी तथा वहां ओपीएस बहाल हुई। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए वहां भी पुरानी पेंशन का वादा करने वाली पार्टी प्रचण्ड बहुमत से जीती। वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में पुरानी पेंशन की पक्षधर पार्टी जीती। इसी तरह मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन की पक्षधर पार्टी 230 में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीती। राजस्थान में 200 सीटों में से 150 सीटों पर पोस्टल बैलेट में ओपीएस की पक्षधर पार्टी जीती एवं छत्तीसगढ़ चुनाव में 90 सीट में से लगभग 70 प्रतिशत सीटों पर ओपीएस की पक्षधर पार्टी विजयी रही। इस तरह सत्तारूढ़ दल भारी दबाव में हैं। इसका उदाहरण है राजस्थान विधानसभा चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य जब उन्होंने कहा कि - "हमने ओपीएस के लिए कमेटी बनाई है।" संसद में पुरानी पेंशन लगातार चर्चा का विषय रहा एवं सरकार एनपीएस में संशाधन हेतु समिति बनाने पर विवश हुई। सत्तारूढ़ दल की राज्य सरकारें हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड और भी पुरानी पेंशन बहाल की ओर कदम बढ़ाने लगी हैं। अटेवा /एन एम ओ पी एस अपने मुद्दे के लिए निरन्तर संघर्ष करता रहता है।

अभी 04 फरवरी को लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली हेतु अटेवा ने "रन फार ओपीएस" कार्यक्रम किया जिसमें प्रदेश भर से भारी संख्या में पेंशन विहीन साथियों व मातृशक्तियों ने जबरदस्त उत्साह के साथ प्रतिभाग किया था। जिसके कुछ दिन बाद ही 09 फरवरी 2024 में देश के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय राज्य सिक्किम की सरकार ने अपने कर्मचारियों के के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल कर दी है। यह एन डी एस शासित राज्यों में शामिल होने के कारण पेंशन बहाली आन्दोलन के लिए आशा की मजबूत किरण है। ▪

डॉ. आशाराम यादव
मो.न.- 9457000083

कहाँ है जनतंत्र में मीडिया ?

लोकतंत्र और मीडिया दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से किसी एक का संतुलित व्यवहार दूसरे को स्वमेव ही स्वस्थ एवं संतुलित रखता है । 75 वर्षों से भारत में लोकतंत्र सफलतापूर्वक विद्यमान है, जिसमें मीडिया ने बड़ा योगदान दिया है। अपने दायरे में रहकर मीडिया ने छोटे-बड़े भ्रष्टाचार के बहुत से मामले उजागर किये हैं। देश में नेताओं, अधिकारिओं एवं आमजन में कर्तव्य भावना का संचार किया है, किन्तु कुछ संदर्भों में जैसे- देश की आंतरिक जनसमस्याओं को छोड़कर गैर जरूरी अथवा अप्रासंगिक मुद्दों पर लाइव डिबेट आयोजित करना मेन स्ट्रीम मीडिया की सामान्य प्रवृत्ति बन गयी है। साथ ही जन आंदोलनों को पर्याप्त कवरेज प्रदान न करना, चुनावों में सांप्रदायिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर देने की कला, किसी प्रायोजित मुद्दे को कई दिनों तक प्रसारित करते रहना, जरूरी खबरों को छोड़कर अन्य प्रायोजित मुद्दों/मंचो को लाइव दिखाना इत्यादि गतिविधियां मीडिया की मूल कर्तव्य भावना एवं निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं, जिससे मीडिया का यह दृष्टिकोण प्रेस की स्वतंत्रता के बजाय स्वछंदता के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखने लगा है। उदाहरण के लिए 13 दिसंबर, 2023 को संसद भवन के अंदर घुसकर कुछ युवकों ने बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा इत्यादि व्याप्त समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उन लोगों के आन्दोलन का यह तरीका सुरक्षा कारणों से नकारात्मक था, साथ ही असंसदीय भी था। विचारणीय है कि मीडिया ने इस मुद्दे में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा इत्यादि समस्याओं पर चर्चा न करते हुए बेरोजगार युवक-युवतियों को आतंकवादियों की तरह प्रसारित व प्रचारित करने वाली खबरें दिखाने लगा। आजादी के बाद से देश में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

राज्य के चौथे स्तम्भ के उद्देश्यों के अनुरूप निष्पक्ष भाव से जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना मीडिया का प्राथमिक दायित्व है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की निम्न रैंकिंग चिंतनीय है। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 161 वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 150 थी।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद -19) सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। इस मूल अधिकार के व्यापक उद्देश्यों में यह शामिल नहीं है कि मीडिया केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण और सरकार/सत्ता के अनुकूल व्यवहार करे। मीडिया में व्याप्त संकीर्णता, एकपक्षीय दृष्टिकोण से कुतर्क, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली खबरों पर जोर देना इत्यादि नकारात्मक प्रवृतियां लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं। लोकतंत्र में राजनेता एवं आम नागरिक सभी की गरिमा और अधिकार बराबर होते हैं। व्यक्ति पूजा अथवा महामानव की अवधारणा लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह अधिनायकवादी शासन प्रणाली को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसेः स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक व आर्थिक न्यायपूर्ण व्यवस्था इत्यादि की सुरक्षा के लिए मीडियाकर्मियों की भूमिका चौकीदार की तरह होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जन नियंत्रण, पारदर्शिता, अधिकार और नागरिकता की अवधारणा जैसे विषयों पर विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से मीडिया में भी सकारात्मक सुधार संभव है। मीडिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण एवं मजबूत स्तंभ होता है। जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता के बावजूद प्रेस सत्ता की भाषा बोलने लगता है अथवा एकपक्षीय होने लगता है, तो उस देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को फेल होने में बहुत देर नहीं लगती है, जैसेः म्यांमार, पाकिस्तान, इत्यादि देश इसके उदाहरण हैं, जहां सत्ता के दबाव अथवा सेंसरशिप से मीडिया कमजोर हुई और अंततः लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है।

मीडिया ही जनमत निर्माण एवं जन जागरूकता का सशक्त साधन है। जनसंख्या के आधार पर बड़े देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा और समर्थकों का समूह होता है, जिसके आधार पर वह समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं। राजनीतिक दल अथवा संगठन बनाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार (अनुच्छेद-19) है, किंतु देश की आजादी के बाद भारत में अपने संगठनात्मक आधार विस्तृत करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और अपराधियों को चुनाव लड़ाना (राजनीति का अपराधीकरण), नोट के बदले वोट जैसे नकारात्मक साधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है।राजनीतिक दलों की इन नकारात्मक गतिविधियों को देश में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, अभाव, भय, भूख, भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी ने ऊर्जा देने का काम किया है। यह नकारात्मक गतिविधियां निरन्तर जारी हैं, जिन पर मीडिया सकारात्मक कार्य कर सकती है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका जन जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ ही लोकतान्त्रिक व्यवस्था को भी संतुलित व सशक्त आधार प्रदान करती है। इसके कारण राजनीतिक दलों की गतिविधियों में सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होता है। मीडिया कर्मियों को हेडलाइंस मैनेजमेंट वाले दृष्टिकोण से बाहर आकर वास्तविकता और निष्पक्षता से नागरिक अधिकारों और सुविधाओं का संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण करते रहना है, जिससे हमारा देश और भी सशक्त बने।

डॉ. कर्मचन्द यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
सल्तनत बहादुर महाविद्यालय बदलापुर, जौनपुर

सामाजिक संबंधो में नवाचार
आ रहे है पेरियार

विवाह पर किया जाने वाला खर्च लोगों की 10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए । समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग दो या तीन दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं।--- पेरियार

धीरे धीरे ही सही उत्तर भारत में पेरियारवादी विचारों का प्रभाव दिखने लगा| लोग बिना किसी दबाव के पेरियार के विचारों को अपना रहे हैं। मानवता की यात्रा में साथ साथ रहने के लिए तमाम संस्थाएं बनी जिसमे परिवार सबसे महत्वपूर्ण रहा है। हज़ारों साल से चल भी रहा है। भारतीय परिवेश में दुनिया से कुछ अलग तरह की मान्यता बनी खास कर जन्म जन्म तक साथ चलने की। पुनर्जन्म होता है कि नही, आज विज्ञान के युग में इसपर विश्वास करना कठिन है इसलिए साथ साथ चलने के तरीके मानवीय संबंध और तार्किक रूप से आज के मानवीय मूल्यों के आधार पर चलने का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है।

तानसेन यादव
अधिवक्ता एंव सामाजिक कार्यकर्त्ता

“ यह एक प्रकार से आने वाली भोर की शुरुआत है। देश में जिस प्रकार से कबीर, फूले अंबेडकर जैसे लोगों ने भारत में जो स्वप्न देखे थे कि आदमी, तार्किक और मानवीय होगा । मानवीयता की इस परम्परा को मोहित पटेल ने आगे रहे, आने वाले दस बीस सालों में जब इस प्रकार के वैवाहिक संबंध आम हो जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि मोहित पटेल और सारिका अपने समय से दस बीस सालों आगे चल रहे हैं।

आज से बीस साल पहले अपने विवाह के बारे में सोंचना भी हमारे समाज में सही नहीं समझा जाता था। आज लोग कर रहे कि नही। आज हमें यह देखने और सुनने में अटपटा जरुर लग रहा है, क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है लेकिन कुछ दिनों में यह आम हो जाएगा। उन्नत समाजों में विवाह के लिए क्या चाहिए होता है एक पुरुष और एक महिला। यहाँ भी ऐसा ही हुआ दो बालिग लोगों ने अपने विवाह का निर्णय लिया और अपने तरीके से विवाह किया। ”

बिन फेरे हम तेरे

हरदोई कुरसठ के निवासी मोहित पटेल ने अपनी जीवन संगिनी सारिका पटेल के साथ मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पेरियारवादी सिस्टम से संवैधानिक मूल्यों को सामने रखकर संविधान की शपथ लेते बिना किसी धार्मिक आडम्बर के, न कोई दहेज़, न कोई परहेज़, न किसी की अनुकंपा के, बिना फेरे लिए अपने इष्ट मित्रों के सामने 04 फरवरी 2024 को एक सादे समारोह में एक दूसरे को माला पहना कर जीवन यात्रा में साथ चलाने का संकल्प लिया|

मोहित पटेल जो आम जन में ठाकुर साहब के नाम से जाने जाते हैं, कई शैक्षणिक संस्थानों के चेयरमैन हैं, प्रतिवर्ष करोडो का टर्न ओवर है लेकिन उन्होंने अपने विवाह में बमुस्कित 1 से डेढ़ लाख रुपए खर्च किये होंगे |उन्होंने बताया कि बिना फिजूलखर्ची के विवाह करने की शर्त के लिए मेरे कई रिश्ते कैंसिल हुए, इस तरीके से विवाह के लिए लोग मानते ही नहीं थे। मोहित पटेल ने बताया कि इस तरह से विवाह किये जाने के पक्षधर उनके दादा सुन्दरलाल पटेल जी थे जिन्होंने विवाह समारोह में अपनी हैसियत से अधिक न खर्च करने की प्रेरणा दी थी। मोहित पटेल के पिता केहरि सिंह ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहाकि पहले तो मुझे कुछ अटपटा लग रहा था लेकिन आज लोगों में मेरे बेटे के विवाह की चर्चा है, लोग सामाजिक निंदा के भय में अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर देते हैं और सालों साल उस कर्ज को चुकाते हैं उनके सारे विकास के काम ठप हो जाते हैं, लेकिन मोहित ने जो किया लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो और अधिक खर्च कर सकते हैं, सुनकर ख़ुशी मिलती है ▪

कोमल प्रसाद
मो.न.- 9565869539

नन्हा खरगोश

नन्हा खरगोश कहानी बसावन इंडिया को वाराणसी से अपूर्वा ने लिख कर भेजी है। 9 वर्षीय अपूर्वा सेंट जॉन्स स्कूल BLW की कक्षा 04 की छात्रा हैं। कहानी लेखन अपूर्वा की रूचि है, इसके आलावा अपूर्वा चित्रकारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेमिंग में रूचि है। अपूर्वा ने यह कहानी मूल रूप से इंग्लिश में लिखी थी जिसे उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया, इस कहानी के समस्त चित्रों को सजा कर अपूर्वा ने ही भेजे हैं,बसावन इंडिया अपने पूर्व के संकल्प के अनुसार छोटे बच्चों की रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए उनके रचनाओं या अन्य कलात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता के तौर पर स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि आप भी बसावन इंडिया में स्थान पाना चाहते हैं तो बसावन इंडिया को मेल कीजिए| बसावन इंडिया बिना किसी बदलाव के इस कहानी को ज्यों का त्यों छाप रही है बिना किसी बौद्धिक कसरत के आप भी इस कहानी का आनंद उठाईये|

एक बार, वहाँ एक छोटा-सा खरगोश रहता था, वह केवल 4 महीने का था। पास ही एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन, शेर भूखा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शेर अच्छा नहीं था, वह हमेशा चाहता था कि सभी जानवर उसके नौकर हों। शेर ने कहा कि उसे रोज खाना चाहिए। उसने बताया कि उसे हर दिन इंसान का मांस चाहिए. अगर उसे भोजन नहीं मिलता, तो वह छोटे खरगोश को खा जाता- हर कोई छोटे खरगोश से प्यार करता था! खरगोश को बचाने के लिए जानवरों को हर दिन एक जानवर को मारना पड़ता था।

एक दिन, खरगोश ने सभी से कहा कि वे मांस न लाएँ। हर कोई उत्सुक था कि उसने ऐसा क्यों कहा। जल्द ही शेर भूखा मरने लगा, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह शायद ही जीवित रह सके! शेर ने कहा "आज तुमने मुझे मांस क्यों नहीं दिया?

आवाज़। सभी ने कहा, "खरगोश ने हमें ऐसा नहीं करने के लिए कहा था।" शेर को बहुत गुस्सा आया! उसने कहा, "मुझे मांस दो नहीं तो मैं खरगोश खा लूँगा!" खरगोश तेजी से भागा, उसे एक छेद दिखाई दिया। वह बिल में जाकर छिप गया क्योंकि वह बहुत छोटी थी। शेर ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, उसने जल्द ही उसे देख लिया, लेकिन छेद इतना छोटा था कि शेर उसमें घुस नहीं सकता था और खरगोश को चोट नहीं पहुँचा सकता था। जल्द ही शेर ने हार मान ली। वह वास्तव में कभी भी जानवरों को खाना नहीं चाहता था। लेकिन जल्द ही वह खरगोश को खाना चाहता था। वह किसी को नहीं खाता था और सभी लोग खुशी से रहते थे।.. लेकिन जल्द ही,

कुछ बुरा हुआ--- शेरों का एक और क्रूर परिवार आया! नए शेर ने कहा, "खरगोश को जीवित नहीं रहना चाहिए!" लेकिन अब बूढ़े शेर को भी खरगोश से प्यार आ गया। सबने

कहा "वह भी जीने की हक़दार है।" परन्तु वे नहीं जानते थे कि नया शेर कौन था। नये शेर ने लगभग जानवरों को खाना शुरू कर दिया! वे उससे बहुत डरे हुए थे, लेकिन बूढ़ा शेर परिवार बिल्कुल भी नहीं डरा! दोनों आपस में लड़ने लगे। खरगोश इतना डर गई थी कि वह तेजी से अपने छोटे से छेद की ओर भागा। बूढ़ा शेर परिवार लगभग डर गया। बूढ़ा शेर परिवार भाग गया! जल्द ही... जब अन्य जानवरों ने यह देखा, तो उन्होंने सोचा "बूढ़े शेर परिवार ने हमें बचाने की कोशिश की, हमें भी मदद करनी चाहिए!" ये सोचते ही...वे भी लड़ने लगे! पुराने शेर परिवार को लगा कि जानवर नए शेर परिवार से डरे हुए हैं --- हालाँकि वे नए शेर परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरते थे! उधर नया शेर परिवार जानवरों से डरता था! तब नए शेर परिवार ने सोचा कि उन्हें एक साथ खुशी से रहना चाहिए और उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हमें साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए।" सभी ने स्वीकार कर लिया और उस समय से किसी का भी बुरा नहीं हुआ और सभी एक साथ ख़ुशी से रहने लगे! ▪

अपूर्वा
Class 04
सेंट जॉन्स स्कूल BLW

राष्ट्रमाता : सावित्रीबाई फुले की जयंती

▪ बसावन इंडिया डेस्क

महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयागांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और कवयित्री भी थी। इन्हेंक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब इन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े।

आज़ादी के पहले इंडिया में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इंडिया में दलित महिलाओं को सामाजिक भेद भाव के साथ साथ पारिवारिक विरोध भी झेलना पड़ता था जिसको लेकर राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले न ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। उनकी जयंती पर याद करते हुए बसावन इंडिया 10 अक्तूबर को उनके द्वारा ज्योतिबा फुले को लिखे पत्र को प्रकाशित कर रही है जिसमें तात्कालिक सामाजिक स्थिति का सुंदर चित्रण पढ़ने को मिलता है

पत्र क्र.-1 दिनांक : 10-10-1856

सत्यरूप जोतिबा स्वामी को
सावित्री का साष्टांग प्रणाम
प्रस्तुत है पत्र का हेतु,

मेरी तबीयत में काफ़ी उतार-चढ़ाव आने के बाद अब जाकर थोड़ी ठीक हुई है। इस बीमारी के दौरान मेरे भाई ने अपार श्रम करके मेरी सेवा की। इससे पता चलता है कि वह कितने स्नेही स्वभाव का है। मैं पूरी तरह से ठीक होते ही पुणे आ जाऊंगी। आप चिंता न करें। फ़ातिमा पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा होगा, लेकिन जानती हूं कि वह शिकायत नहीं करेगी। बहरहाल यहां ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तब अचानक मेरा भाई कहने लगा कि, तुम और तुम्हारे पति बहिष्कृत हो और तुम दोनों मिलकर महार, मांग आदि निम्न जातियों के लिए जो काम करते हो, वह पतित है और हमारे कुल के लिए कलंक है। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम दोनों को भट-ब्राह्मणों का कहना मानकर, जाति-रूढ़ि के हिसाब से चलना चाहिए। उसकी बेलगाम और नासमझी वाली बातें सुनकर मां का चेहरा उतर गया। भाई वैसे दयावान है, मगर संकीर्ण विचारों का होने के कारण उसने हम दोनों को दोष देते हुए हमारी निंदा की। मां को बुरा लगा और उसने भाई पर गुस्सा हुए बिना उसे सुना दिया कि अगर भगवान ने तुम्हें मधुर वाणी दी है तो उसका इस प्रकार से दुरुपयोग मत करो। मां की बातें सुनकर भाई शांत हो गया और शर्मिंदा होकर उसने चुप्पी साध ली। मैंने उसकी बातों का खंडन करते हुए उससे कहा, "भाई तुम्हारी सोच संकीर्ण है और ब्राह्मणों की शिक्षा के कारण तुम्हारी बुद्धि कमज़ोर हो गई है। तुम बकरी,गाय को प्यार से सहलाते हो; नागपंचमी को जहरीले नाग पिलाते हो। महार-मांग भी तो तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं, फिर उन्हें अछूत क्यों मानते हो?" ऐसा मैंने उससे पूछा। ब्राह्मण जब अपने पूजा के वस्त्रों में होते हैं तब तुम्हें भी तो अपवित्र मानते हैं; वे तुम्हें भी महार ही मानते हैं। ऐसा क्यों? मेरी बातें सुनकर वह शर्मिंदा हो गया और मुझसे पूछने लगा कि हम महार- मांगों को क्यों पढ़ाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारे इस कार्य के कारण लोग तुम्हें बुरा-भला कहते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं। यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने उसे उन तमाम कार्यों के बारे में बताया जो अंग्रेज महार-मांगों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। साथ ही उसे यह भी समझाया कि विद्याविहीन होना किसी भी इंसान के लिए पशुता की निशानी है। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का आधार विद्या ही है। विद्या की महिमा अपरंपार है। जो भी उसे ग्रहण कर लेता है, उसकी नीचता दूर भागती है और उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मेरे स्वामी जोतिबा महान और भले आदमी हैं। इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति हो, जो उनकी बराबरी कर सके। जोतिबा महार-मांगों के पढ़ने तथा इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए इन भट-ब्राह्मण नामक केंचुओं से लड़ते हैं और महार-मांगों को पढ़ाते हैं। इस शुभ कार्य में मैं भी उनका साथ देती हूं। इसमें अनुचित क्या है? हम दोनों मिलकर लड़कियों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, महार-मांगों को शिक्षित करते हैं। इससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को ठेस पहुंचेगी, यह जानकर वे हमारे द्वारा मानवता को स्थापित करने के प्रयासों को 'अब्राह्मण अब्राह्मण' कहकर दुत्कारते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के मन में गंदगी भर देते हैं।

मैंने उससे कहा कि तुम्हें शायद याद होगा कि गुणों को पहचानने वाली अंग्रेज सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित करके मेरे पति के अच्छे कार्यों का गुणगान करके उन्हें सम्मानित किया था। इससे अशिष्ट और उजड्ड लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकती हूं कि मेरे पति तुम्हारे जैसे वारकरियों की तरह हरिनाम नहीं जपते, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हरि का काम करते हैं। और मैं इस कार्य में उनकी मदद करती हूं। यह काम इतना आनंददायी है कि मुझे इससे परमानंद की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा यह भी दृष्टिगोचर हो जाता है कि मनुष्य अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई और मेरी मां, दोनों मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। भाई को अपने कहे पर पश्चात्ताप हुआ और उसने मुझसे मांफी मागी। मां कहने लगी, "सावित्री तुम्हारी जुबान पर सरस्वती का वास है। तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनकर में धन्य हो गई।" दोनों की बातों से मुझे परम संतोष मिला और में भावुक हो गई। इस घटना से आप जान गए होंगे कि पुणे में हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले भांड बहुत हैं। वैसे ही यहां भी हैं। उनसे डरकर हम अपना काम क्यों छोड़ दें? बल्कि हमें लगातार और ऊर्जा से यह पुण्य काम करते रहना चाहिए। भविष्य में हमीं को कामयाबी मिलेगी। इससे अधिक लिखने को अब कुछ शेष नहीं है। ▪

आपकी
सावित्री

(फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित सावित्री नामा से साभार)

रैदास जयंती

जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न धेला रे...

जीवन चारि दिवस का मेला रे।
बांभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे।।
मंदिर भीतर मूरति बैठी, पूजति बाहर चेला रे।
लड्डू भोग चढावति जनता, मूरति के ढिंग केला रे।।
पत्थर मूरति कछु न खाती, खाते बांभन चेला रे।
जनता लूटति बांभन सारे, प्रभु जी देति न अधेला रे।।
पुन्य -पाप या पुनर्जन्म का, बांभन दीन्हा खेला रे।
स्वर्ग -नरक, बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे।।
जितना दान देवे गे जैसा, वैसा निकरै तेला रे।
बांभन जाति सभी बहकावे, जन्ह तंह मचै बबेला रे।।
छोड़ि के बांभन आ संग मेरे, कह विद्रोहि अकेला रे।

रैदास जयंती पूरे देश में बनाई गई। रैदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे। बनारस में उनकी प्रतिमा लगी, रैदास जी प्रतिमा के कितने विरोधी थी यह अलग बात है। रैदास के नाम पर अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा अखबारों को बड़े-बड़े विज्ञापन दिए गए। जिसमें एक ही चौपाई बार-बार थी ""ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न'। ऐसे देश के लिए रैदास बेगमपुरा की कल्पना करते हैं। रैदास की सबसे बड़ी चाहत बेगमपुरा थी।

बेगमपुरा अर्थात ऐसा देश / समाज जो बिना गम के हो। बेगमपुरा में ऊँच नीच, जातीय भेद, हिंसा, जातीय श्रेष्टता का को जगह नहीं होती। लेकिन बेगमपुरा की चाहत में जो रैदास की सबसे बड़ी चुनौती थी इस ब्राह्मणवाद से चुनौती। जिसको रैदास की उस चौपाई के द्वारा समझा जा सकता है जिसके लिए रैदास देश दुनिया में जाने जाते हैं -

बेगमपुरा को स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती रहे ब्रह्मणवाद को ध्वस्त करने वाली इस बात को कहने का दम किसी में नहीं है जिसके लिए रविदास ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, रैदास का भारत, बेगमपुरा नहीं बन सकता। ब्रह्मणवाद की जान जाति व्यवस्था में बसती है। रैदास की ये लाइन आज भी लोगों के जेहन में है कि जात-जात में जाती है, ज्यो केलन को पात, रैदास मानुष नहीं जुड़ सके, जब तक जाती न जात... एक अर्थ में रैदास की यह कल्पना अद्वितीय है।

रैदास की यह वाणी देश के कोने-कोने पहुंची, जब पंजाब पहुंची तो पंजाबी दुनियां में छा गए। सिख समाज वर्ण/ जाति की परंपरागत बीमारियों से थोड़ा मुक्त हुआ, जिसका नतीजा है की कोई सिख भीख मांगते नहीं दिखता। सीर करैहिया से सिएटल तक रैदास के विचारों को फैलाया पंजाबियों ने दुनियां के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन का सफलता पूर्वक संचालन किया। किसान आन्दोलन को इतने व्यवस्थित ढंग के आन्दोलन के मूल में संत रविदास की वाणी संचारित हो रही है।

रैदास की यह वाणी सुबह की अमृतवाणी नहीं थी। रविदास का यह कथन कोई मामूली कथन नहीं था। बेगमपुरा की कल्पना करने वाले रैदास भारत के बड़े चिंतको और दार्शनिको में होते अगर उनका साहित्य, बोल, भाषण, लेखन हमारे बीच होता। आज उनकी कुछ लाइन, चलती फिरती हमारे बीच सामने आ जाती है लेकिन उनकी बातें दबा दी गयी, खत्म कर दी गयी, और भारत को बेगमपुरा बनाने का सपने को साकार रूप देने के लिए कई सौ साल बाद डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित भारत का खाका सामने आया। अंबेडकर के भाषण "जाति का उच्छेद याद दिलाता है जो हो न सका लेकिन बाद में खूब पढ़ा जा रहा है। ▪

अमरजीत चक्रवर्ती
मो.न.- 94150 88452

चप्पलबाज: फिल्म 12वीं फेल

भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कविता 'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कविता से शुरू होने वाली यह मूवी पूरी तरह से ब्राह्मण बस वर्चस्व को स्थापित वाली प्रोपगेंडा मूवी है नायक भी बीच बीच में इसी डायलाग को बोलता है।

फिल्म मे मेन लीड का बाप का किरदार, अपने ऑफिसर को चप्पल से पीटता है, दादी गोली चलाती है, एक पोता विधायक के चमचे को चप्पल से मारता है और दूसरा पोता यानी मनोज भी लाइब्रेरी में अपने बॉस को मारने के लिए लिए चप्पल उठा लेता है। गरीब होकर भी चप्पल मारने की जो हिम्मत देता है है वही उनका जाति प्रीविलेज है। दलितों या शूद्रों पर कितनी फिल्म बनी है जिसमें उन्होंने चप्पल से सवर्ण को मारते नहीं दिखाया क्योंकि जातिगत कुंठा इतनी अंदर तक कमजोर बना कर चली गई कि मन मसोस कर रह गए, दुख क्रोध को पी गए लेकिन तथाकथित निचली जाति के कारण, सुवर्ण को अन्याय के लिए चप्पल नहीं मार पाए.लेकिन फिल्म के किरदार, सब को चप्पल से मार रहे है। उन्हें ना विधायक का डर ना पुलिस वाले का। ये जो हिम्मत है वही इन्हें तथाकथित ऊंची जाति का करके मिला है। जिसे मनु ने लिखा और ब्राह्मणों ने पोषित किया. (सबसे ख़तरनाक ये हैं डॉयलॉग- जा रहा हूँ बताने कि तुमने आईपीएस के बाप से पंगा लिया है।) देश की लगभग सभी समस्याओं की जड़ में यही है। जाने माने सामाजिक चिन्तक दिलीप मंडल लिखते हैं कि इस फिल्म को कई समीक्षक गरीब के संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। पर ये कतई गरीब परिवार नहीं है। मनोज के दादा फौज में जूनियर कमीशंड अफसर थे। दादी को पेंशन मिलती है। पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और वे आरोपों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि उनके पास जमीन और गायें भी हैं। यानी यह बीपीएल परिवार से आईएएस बनने की ड्रीम स्टोरी नहीं है। कुल मिलाकर इसे एक मिडिल क्लास परिवार ही कहा जाएगा।

ये बात भी चौंकाती ही है कि मनोज ही नहीं, पूरे परिवार को भरोसा है कि 12वीं पास करते ही मनोज को सरकारी नौकरी लग जाएगी। पता नहीं इस आत्मविश्वास का कारण क्या है। जब मनोज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने ग्वालियर से आता है और रास्ते में उसका रुपया और सामान चोरी हो जाता है तो वह एक होटल में खाना मांगता है और उसे बाकायदा टेबल-कुर्सी पर बिठाकर मुफ्त खाना खिलाया जाता है। क्या ये आपको स्वाभाविक लगता है? वहीं उसकी मुलाकात श्रीमान पांडे से होती है जो मनोज शर्मा को अपने खर्च पर दिल्ली ले जाते हैं। इतने सारे सुखद संयोग हर किसी के जीवन में नहीं होते।

गौरी भैया मनोज की जिंदगी में देवता की तरह आते हैं। वे खुद कैंडिडेट हैं, पर बाकी लोगों को फ्री कोचिंग देते हैं। मनोज को वे अपनी शागिर्दी में ले लेते हैं। आगे चलकर मनोज के लिए वे अपना कमरा छोड़ देते हैं और उसे चौबीस घंटे वाला एक सहायक भी उपलब्ध करा देते हैं। ये भी एक दिलचस्प संयोग है जो मनोज शर्मा के जीवन में होता है, लेकिन कितने लोगों के जीवन में ऐसे संयोग होते हैं। और फिर किन लोगों के जीवन में लगातार संयोग होते ही रहते हैं। क्या इसे किसी तरह के प्रिविलेज या विशेषाधिकार का नतीजा माना जा सकता है? गौरी भैया का चरित्र सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि मनोज का संघर्ष कितना महान है क्योंकि गौरी भैया को छह और मनोज का चार अटैंप्ट मिलने हैं।

मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी की प्रेम कहानी मसाला फिल्मों की तरह ही है। हिंदी फिल्मों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रेम एक ही जाति के लोगों के बीच कराया जाए, ताकि शादी में दिक्कत न हो. श्रद्धा के पिता भी कुछ समय ना नुकुर करके मान ही जाते हैं। आखिर लड़का सिविल सर्विस का इंटरव्यू जो देने वाला है और बिरादरी का भी है।

मनोज शर्मा जब मेंस में फेल हो जाता है तो करियर गाइडेंस लेने सीधे पिछले आईएएस टॉपर, जो अब बड़े अफसर हैं, के पास चला जाता है। यही नहीं, अफसर जबरन घुस आए एक युवा को बिठाकर बात करते हैं और जरूरी बात समझा भी देते हैं। ये किस प्रिविलेज के कारण हुआ होगा, ये हम समझ सकते हैं। पर इसे मनोज शर्मा के संघर्ष की तरह दिखाया गया है।

मनोज शर्मा का यूपीएससी का इंटरव्यू बेहद नाटकीय और सनसनीखेज है। इंटरव्यू लेने वाले उसके जवाबों को सुनकर उसे बाहर कर देते हैं। फिर उनमें से एक हस्तक्षेप करती हैं और मनोज को दोबारा बुलाया जाता है, दोबारा यू पी एस सी में बुलाने की घटना को दिखया गया है, शायद ही किसी के साथ घटित हुई हो यूपीएससी इसकी पुष्टि कर पाएगी की नहीं। ऐसा संयोग एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट के साथ हो सकता है? ▪

विनीत कुमार
मो.न.- 79854 72168

किताब- आधा बाजा, लेखक- रामजी यादव, मूल्य- रु.140/

रामजी यादव का कहानी संग्रह आधा बाजा मानवीय संवेगों और व्यवहार का दस्तावेज़ है। कहानीकार रामजी यादव अपने शब्दों से खेलते हुए, सोचने का अलग आयाम देते हैं।

'आधा बाजा' संग्रह की कहानी 'सूदखोर के पाँव' का कुछ अंश ...

"दुःख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोय!
जो सुख में सुमिरन करे,
दुःख काहे को होय?

यही एक दोहा बारी-बारी से अनेक लड़कों ने पढ़ा और उसके बाद मास्टर साहब ने पूछा, 'इस दोहे में क्या है?"

विद्यार्थी मास्टर साहब से घुल-मिल गए थे इसलिए सबने एक स्वर में कहा,'मास्साब, हम आपसे ही सुनेंगे।'

मास्टर साहब बोले, 'ठीक है।' और वे उठकर खड़े हो गए। चाक उठाया और श्यामपट्ट पर लिखते हुए बोले, 'इसमें खास बात है सुमिरन । सुमिरन माने स्मृत यानी स्मरण अथवा याद। कबीर जी याद करने की बात कर रहे हैं। और सुख में याद करने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सुख में स्मरण करने से दुःख नहीं होता। इसलिए हमेशा स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण?'

विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा, 'भगवान का।'

'हाँ, ठीक।' मास्टर साहब बोले- 'लेकिन एक बात फरिया लेनी चाहिए कि भगवान क्या है और क्या करता है?' कक्षा में फिर शुचि-पट्ट सन्नाटा छा गया। मास्टर साहब बोले, 'भगवान है नहीं।वह माना जाता है। माना जाता है कि वह सबको बराबरी का दर्जा देता है और सबका काम बनाता है। और ज़रा याद करके बताओ तो वह कैसे काम बनाता है?

विद्यार्थियों में से आवाज आई, 'साधन के रूप में काम बनाता है।'

'हाँ...। साधन के रूप में।' मास्टर साहब ने कहा, 'इसका मतलब है भगवान साधन का रूप है। साधन के रूप हैं माँ-बाप, भाई-बहन, यार-दोस्त, विद्या, वाणी और ईमानदारी और सबसे बढ़कर है धन...। क्योंकि, धन की गड़बड़ी से न बराबरी का दर्जा मिलेगा और न कोई काम बनेगा। न माँ प्यार करेगी। न बाप स्नेह देगा। न भाई-बहन कहना मानेंगे, न यार दोस्त पास फटकेंगे, न विद्या आएगी। न वाणी मधुर रहेगी और ईमानदारी तो उड़कर कपूर की तरह पता नहीं कहाँ गायब हो चुकेगी। जब न पेट भरेगा और न इज्जत मिलेगी तो कौन ईमानदार रहेगा। कहने का मतलब है इन सबके समान रहने के लिए धन का स्मरण बहुत जरूरी है। जिसने धन का स्मरण नहीं किया उससे अभागा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है।'

लड़के टुकुर-टुकुर मास्टर साहब का मुँह देख रहे थे। मास्टर साहब ने आगे अपनी व्याख्या जारी रखी, 'अक्सर तुमने देखा होगा कि जहाँ लोगों की भीड़-भाड़ और बस्तियाँ घनी होती हैं वहाँ मंदिर-मस्जिद और गिरजे भी गुलो-गुलजार होते हैं लेकिन जहाँ गाँव-गरीब का स्थान होगा वहाँ चौबारे में भी कोई दीया नहीं जलाता। क्या भगवान वहाँ नहीं है। जरूर होगा, लेकिन चढ़ावा नहीं है। जब चढ़ावा नहीं है तो पुजारी-मुल्ला क्या करेंगे। वे भी तो शहर-बनारस ही भागेंगे न! तो इसका मतलब क्या है? 'लेकिन सुनो! कबीर के कहने का असली मतलब तुम समझो - वे कहते हैं जब धन नहीं होता तो सभी स्मरण करते हैं - हे भगवान्, हे भगवान्... लेकिन अब तो धन ख़त्म हो चुका है। जब धन था तो कभी उसका ध्यान न किए तो अब पुकारते-पुकारते मर जाओ लेकिन धन नहीं आएगा। इसलिए संतों के संत कबीरदास जी तिखारते हैं कि जब तुम्हारे पास धन हो और तुम सुखी होओ तब भी स्मरण करो कि यदि ऊटपटाँग खर्च करोगे तो धन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि धन हमेशा तुम्हारे पास रहे और बराबर उसमें बढ़ोत्तरी हो ताकि जीवन सुखी रहे।

किसी के आगे हाथ न फैलाओ क्योंकि इससे बढ़कर बड़ा दुःख कोई नहीं है।

बालको! कबीरदास का तात्पर्य वास्तव में यह है कि फिजूलखर्ची से बचो और अगर इससे बच जाओगे तो कभी दुखी न होओगे।'

अगोरा प्रकाशन से छपी यह पुस्तक 08 कहानियों का संग्रह है। 135 पृष्ठ की यह पुस्तक आठ कहानियों का सम्मुचय है। सहज सरल भाषा में लिखी यह पुस्तक भारतीय समाज और व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विमर्श का पैदा करती है। ▪

लेखक परिचय - बनारस के गवईं क्षेत्र से आने वाले रामजी यादव आज देश में हिंदी जगत के अग्रिम पंक्ति के लेखकों में शुमार हैं। रामजी यादव छात्र जीवन से ही दौरान वामपंथी आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने बनारस, कानपुर और दिल्ली में पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वर्तमान में वे लेखन और वृत्तचित्र निर्माण में लगे हुए हैं। उनकी रचनाओं में अथकथा इतिकथा (कहानी संकलन), तुम खुदा ही सही हमारे किस काम के (गाँव देस की बात) एवं अंधेरा भारत (उत्पीड़ितों की आत्मकहानियाँ) के अलावा ज्योतिबा फुले, भारतेंदु, डॉ. अम्बेडकर, गिजुभाई एवं रामचंद्र शुक्ल संचयन प्रकाशित हो चुके हैं। फिलहाल वे भारत के जनांदोलनों और संस्कृति रूपों के दस्तावेज़ीकरण के साथ ही लोकप्रिय द्वैमासिक पत्रिका गाँव के लोग का संपादन कर रहे हैं।

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe
ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 500/- ☐ 2 वर्ष ₹ 1000/- ☐ 5 वर्ष ₹ 2500/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10, 000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

पत्रिका मिली। बहुत सुंदर है, उस मिजाज की पत्रिका है जिसकी आज जरूरत है। पत्रिका आम जन की आवाज बनेगी। आजीवन हमारा सहयोग पत्रिका को प्राप्त होता रहेगा।संपादक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद

उमेश प्रसाद
पूर्णिया बिहार

बसावन इंडिया का दिसंबर 2023 का अंक समग्र रूप से समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों का विश्लेषण करता है और विभिन्न लोगों के विचारों से अवगत भी कराता है। अन्य पत्रिकाओं में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पत्रिका पहुंचनी चाहिए। पत्रिका के संपादक मंडल का नजरिया स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रतीत होता है। जिस निडरता और साहस के साथ इसका प्रकाशन हो रहा है वह समय की मांग भी है।

डॉ लाल रत्नाकर
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

" बसावन इंडिया " पत्रिका बहुजन जागरण की अद्वितीय पत्रिका है । पत्रिका के लेख और सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली और साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाने वाली होती है इसके लिए सम्पादक मंडल को बहुत बहुत बधाई ।

एडवोकेट
डी आर यादव
कानपुर उत्तर प्रदेश

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

एडवोकेट देशराज (लखनऊ)
9415767238

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

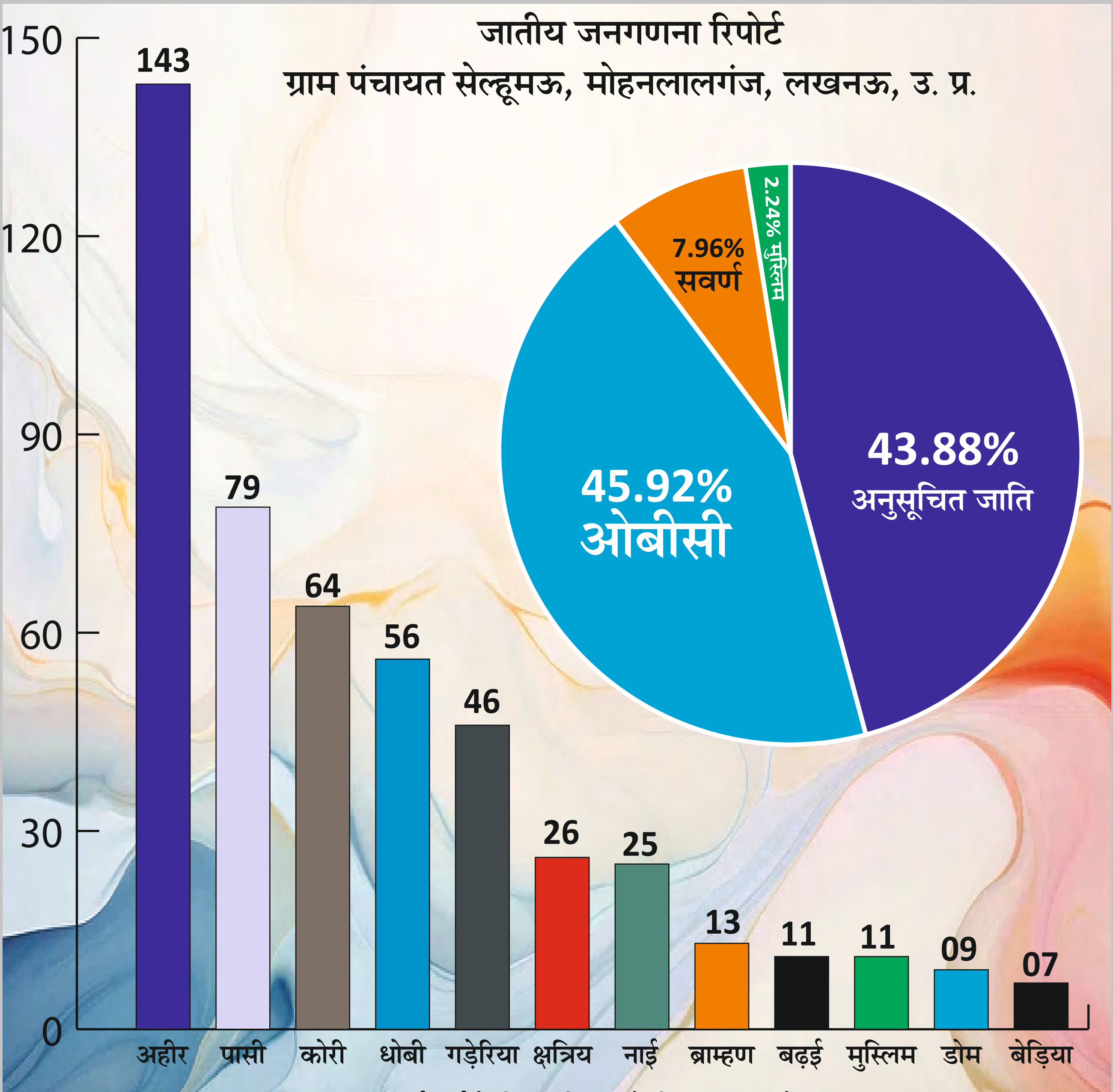

ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 19 पढ़ें।

बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।

17वीं लोकसभा में यूपी के सांसदों की मंडल ऑडिट

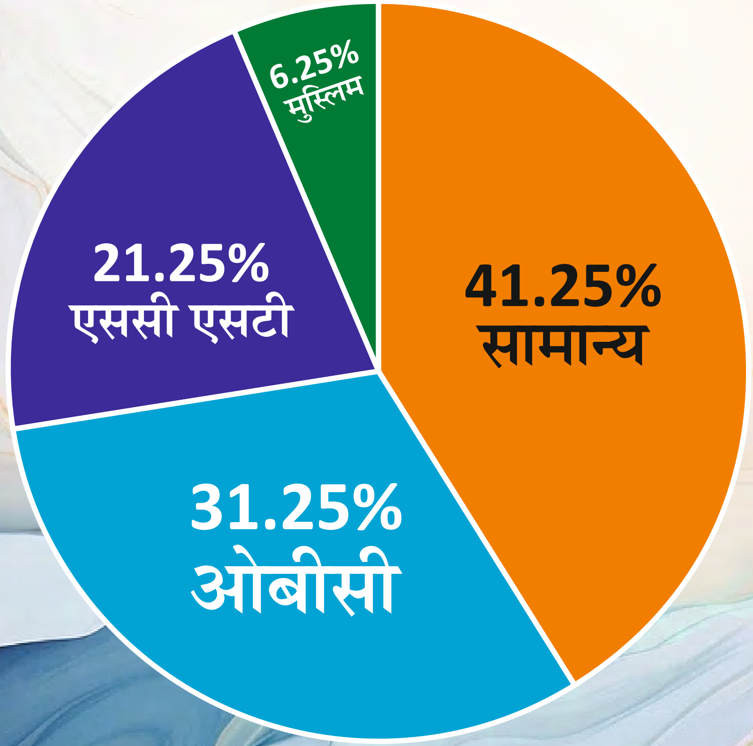

17वीं लोकसभा में यूपी से प्रतिनिधित्व है

यूपी की 80 लोकसभा में 17 पर यानी 21% सांसद SC हैं, जबकि उसका लगभग दो गुणा सवर्ण है....

विस्तृत रिपोर्ट पेज 16 पर